

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2021—आश्विन् 2, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2021

क्र. एफ 1-16-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा,
श्री अंकित जायसवाल, भाषुसे, तत्का. एसडीओपी (बैरसिया), भोपाल,
वर्तमान में अति. पुलिस अधीक्षक, (दक्षिण), भोपाल को दिनांक
09 से 15 फरवरी 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि
में पत्नी के साथ इंडोनेशिया (बाली) की निजी विदेश यात्रा
(Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के
साथ प्रदान करता है:—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी
भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं
किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का
आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित जायसवाल, भाषुसे को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति.
पुलिस अधीक्षक, (दक्षिण) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया
जाता है।

(3) अकाशकाल में श्री अंकित जायसवाल, भाषुसे, को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित जायसवाल,
भाषुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2021

क्र. एफ 1(ए)-167-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अन्वेष
मंगलम, भाषुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन मध्यप्रदेश,
भोपाल को दिनांक 23 अगस्त से 02 सितम्बर 2021 तक, ग्यारह
दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-3-81-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 7393-टीसी-492-उपां-नागरनि-मुरैना-2016, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मुरैना विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण और निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जौरा खुर्द तह. एवं जिला मुरैना (पुरानी सब्जी मण्डी).	650 651 में से 658 में से	0.418 0.483 0.063	वाणिज्यिक/आवासीय आवासीय आवासीय	वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक
योग . .				0.964	

उपरोक्त उपांतरण मुरैना विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्र. एफ 15-15-2021-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत पाये गये वन्यप्राणियों के संबंध में दर्ज प्रकरण जिसमें अज्ञात अपराधी का पता लगा पाना संभव न हो या प्रकरणों की जांच में कोई अपराध कारित न होना पाया जाये तो ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत करता है:—

1. क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
2. क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व

3. संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विभाग निगम, लिमिटेड।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

फा. क्र. 3513-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुसंदेश पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 12 अगस्त 2021

क्र. 432-5अ-एस.सी.-2021.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय प्राथमिक शाला कुशियरा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) का नामकरण—“स्व. श्री रामगोपाल बागरी स्मृति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसुधा” किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र. 434-5अ-एस.सी.-2021.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय प्राथमिक शाला कुशियरा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना (म. प्र.) का नामकरण—“अमर शहीद राजेन्द्र सेन शासकीय प्राथमिक शाला कुशियरा” किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र. 436-5अ-एस.सी.-2021.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय प्राथमिक शाला पड़िया, विकासखण्ड अमरपाटन, जिला सतना (म. प्र.) का नामकरण—“अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी शासकीय प्राथमिक शाला पड़िया” किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास-शाजापुर हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास

देवास, दिनांक 6 सितम्बर 2021

विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 1709-देवास-नगरानि-2021.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, देवास वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है। वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम निम्नानुसार है :—

1 सिया,	9 नागदा,	17 गर्दईसापिपल्या	25 खजुरिया,
2 दुर्गापुरा,	10 पालनगर,	18 आजमपुर सुतारखेड़ा,	26 मुकुंदखेड़ी,
3 अमरपुरा,	11 अनवटपुरा,	19 चंदाना,	27 निपानिया,
4 गददुखेड़ी,	12 सुनवानी महाकाल,	20 छायन,	28 बोरखेड़ी धाकड़
5 खटाम्बा,	13 सुकल्या क्षिप्रा,	21 मुंगावदा,	29 राजपुरा,
6 सतबड़ी,	14 अलीपुर,	22 सिंगावदा,	30 लसुड़िया नजदीक,
7 खेताखेड़ी,	15 लोहार पिपल्या,	23 भीमसी,	31 भानगढ़,
8 बलोदा,	16 टुमनी,	24 करनाखेड़ी,	32 अमलावती.

मानचित्र की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :—

- (1) संभागीय आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
- (2) जिला कलेक्टर, देवास
- (3) आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास
- (4) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

अनिता कुरोठे, उप संचालक.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्र. एफ-15-11-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हरदा	हंडिया सामान्य.	जोगा किला	आरक्षित वन-278	50.00	पूर्व—कक्ष क्रमांक 278 पश्चिम—नर्मदा नदी, फतेहपुर घाट उत्तर—नर्मदा नदी दक्षिण—कक्ष क्रमांक 278.
2	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	पनपथा बफर	पनिहा धार.	आरक्षित वन-179	31.720	पूर्व—छतवा ग्राम पश्चिम—पी-174 बराघाटी उत्तर—आर.एफ. 180 दक्षिण—आर.एफ. 183

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्र. एफ-15-11-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-11-2018-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 14th September 2021

No. F-15-11-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by the rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Harda	Handia (T)	Joga Kila	RF-278	50.00	East—Compartment No. 278 West—Narmada River and Fathepur ghat. North—Narmada River South—Compartment No. 278.
2	Bandhavgarh Tiger Reserve Umariya,	Panpatha (Buffer).	Paniha Dhar	RF-179	31.720	East—Village Chatwa West—P-174 Baraghati North—RF-180 South—RF-183.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-79-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड $23^{\circ}14'55.27''N$ से $23^{\circ}15'6.16''N$ उत्तर अक्षांश तथा $80^{\circ}16'26.90''E$ से $80^{\circ}16'43.00''E$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—कुण्डम, वनमण्डल—जबलपुर, वनपरिक्षेत्र—कुण्डम

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रक्कड़ (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बार-तौरी ‘द’	तौरी (प.ह.नं. 08)	बड़े झाड़ का जंगल	01 (भाग)	08.00	उत्तर —संरक्षित वनखण्ड 175-बार के मुनारा क्रमांक 60/1 से आरक्षित वनखण्ड बार-तौरी ‘द’ के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 02 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व—आरक्षित वनखण्ड बार-तौरी ‘द’ के मुनारा क्रमांक 02 से मुनारा क्रमांक 06 तक कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण—आरक्षित वनखण्ड बार-तौरी ‘द’ के मुनारा क्रमांक 06 से मुनारा क्रमांक 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम—आरक्षित वनखण्ड बार-तौरी ‘द’ के मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 17 एवं मुनारा क्र. 17 से संरक्षित वनखण्ड 175-बार के मुनारा क्रमांक 1/1 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 175-बार के मुनारा क्रमांक 1/1 से मुनारा क्रमांक 60/1 तक संरक्षित वन सीमा।

योग . . 08.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC, दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रक्कड़ 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 08.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निमानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार।—अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 - सामुदायिक अधिकार।—अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-79-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-79-2021-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F-25-79-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government in pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between $23^{\circ}14'55.27"N$ to $23^{\circ}15'6.16"N$ North Latitude and $80^{\circ}16'26.90"E$ to $80^{\circ}16'43.00"E$ East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur Tehsil—Kundam, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Kundam

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (1)	Name of Village (2)	Head of Land (4)	Khasara No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Bar-Touri 'D'	Touri (P.C. No. 08)	Bade Jhad ka Gangle	01 (Part)	08.00	North —Artificial Forest boundary of Protected forest block 175-Bar from Pillar Number 60/1 to forest block Bar-Touri 'D' Pillar Number 01 and Pillar Number 01 to Pillar Number 02.
						East —Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'D' from Pillar Number 02 to Pillar Number 06.
						South —Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'D' from Pillar Number 06 to Pillar Number 12.
						West —Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'D' from Pillar Number 12 to Pillar Number 17 and Pillar Number 17 to Protected forest block 175-Bar Pillar Number 1/1 after then Protected forest boundary from Pillar Number 1/1 to Pillar Number 60/1 of Protected forest block 175-Bar.

Total . . . 08.00

(A) Reason for Publication of Notification : —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019-FC, dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned Revenue forest land of 08.00 hectare transferred of muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. **Individual's Rights**—No individual's Rights are on above land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—No Communities Rights are on above land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-80-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड 23°15'11.43"N से 23°15'31.96" N उत्तर अक्षांश तथा 80°15'54.41"E से 80°16'23.78"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—कुण्डम वनमण्डल—जबलपुर, वनपरिक्षेत्र—कुण्डम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बार-तौरी 'ब'	तौरी (प.ह.नं. 08)	बड़े झाड़ का जंगल	01 (भाग)	23.87	उत्तर —आरक्षित वनखण्ड 39-कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 13 तक की आरक्षित वन सीमा। पूर्व—आरक्षित वनखण्ड 39-कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 से वनखण्ड बार-तौरी 'ब' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण—वनखण्ड बार-तौरी 'ब' के मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 32 एवं मुनारा क्रमांक 32 से संरक्षित वनखण्ड 180-भजिया के मुनारा क्रमांक 30/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम—आरक्षित वनखण्ड 180-भजिया के मुनारा क्रमांक 30/1 से आरक्षित वनखण्ड 39-कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 16 तक संरक्षित वन सीमा।

योग . . 23.87

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC, दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रक्का 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 23.87 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-80-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-80-2021-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F-25-80-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government in pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the revenue forest areas, specified in the schedule below. This forest Block lies between 23°15'11.43"N to 23°15'31.96" N North Latitude and 80°15'54.41" E to 80°16'23.78"E East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur Tahsil—Kundam, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Kundam

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (1)	Name of Village (2)	Head of land (3)	Khasara No. (4)	Area (Hectare) (5)	
1	Bar-Touri 'B'	Touri (P.C. No. 08)	Bade Jhad ka Jangle	1 (Part)	23.87	North—Reserved forest boundary of Reserve forest block 39-Kundwara from pillar Number 16 to pillar Number 13.
						East—Artificial forest boundary of Reserve forest block 39- Kundwara from pillar Number 13 to forest block Bar-Touri 'B' pillar Number 01 and Pillar Number 01 to Pillar Number 15.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

South—Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'B' from Pillar Number 15 to Pillar Number 32 and Pillar Number 32 to Protected forest block 180-Bhajiya pillar Number 30/1.

West—Protected forest boundary of Protected forest block 180-Bhajiya from pillar Number 30/1 to Reserve forest block 39-Kundwara pillar Number 16.

Total . . 23.87

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019-FC, dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned revenue forest land of 23.87 hectare muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. Individual's Rights—No individual's Rights are on above Land mentioned in schedule.

2. Communities Rights—No Communities Rights are on above Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-81-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड N 23°10'15.85" से N 23°10'41.28" उत्तर अक्षांश तथा E 80°08'07.41" से E 80°08'38.32" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—कुण्डम, वनपट्टल—जबलपुर, वन परिक्षेत्र—कुण्डम

अ. क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं (7)
		ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किवलारी अ	किवलारी (प.ह.नं. (18-मड़ई)	बड़े झाड़ का जंगल	175	31.16	उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व—मुनारा क्रमांक 9 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

दक्षिण—मुनारा क्रमांक 18 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम—मुनारा क्रमांक 24 से 28 एवं मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

योग . .	31.16
---------	-------

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-76/2018-FC, दिनांक 23 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना छीताखुदारी मध्यम सिंचाई परियोजना में कुल प्रभावित रक्कम 69.555 हेक्टेयर (जबलपुर-5.42 हे. एवं मंडला-64.135 हे.) वन भूमि के एवज में प्राप्त अनुसूची में वर्णित गैर वन भूमि 31.16 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः—

1. व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-81-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-81-2021-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F-25-81-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 23°10'15.85" to N 23°10'41.28" North Latitude and E 80°08'7.41" to E 80°08'38.32" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur, Tehsil—Kundam, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Kundam

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (1)	Name of Village (2)	Head of Land (3)	Khasara No. (5)	Area (Hectare) (6)	
1	Kivlari A	Kivlari (P.C. No. 18 Madai)	Bade Jhad ka jungle	175	31.16	North— Artificial forest boundary forest pillar Number 01 to pillar Number 09.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						East—Artificial forest boundary from pillar Number 09 to Pillar Number 18.
						South—Artificial forest boundary from pillar Number 18 to pillar Number 24.
						West—Artificial forest boundary from pillar Number 24 to pillar Number 28 & pillar Number 28 to pillar Number 01.
Total . . . 31.16						

(A) Reason for Publication of Notification : —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-76/2018-FC, dated 23rd May 2019 and in lieu of 69.555 hectare (Jabalpur-5.420 hec. Mandala 64.135 hec.) of total affected forest land under the sanctioned project of Chhitakhudari Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned Revenue forest land of 31.16 hectare muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nill.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. **Individual's Rights** —No individual's Rights are on above Land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—No Communities Rights are on above Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-82-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,

(1) N-21°56'45.134" से N-21°56'13.844" उत्तर अक्षांश तथा E-74°59'41.033" से E-74°0'20.787" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—बड़वानी, वनमण्डल—बड़वानी, वनपरिक्षेत्र—बड़वानी

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि भूमि है तो उसका मद	यदि वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में संरक्षित प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	सजवानी खम	9	सजवानी खम /सजवानी खम संरक्षित वन खण्ड	-	246/1 60.000	शासकीय पहाड़	एफ.-25- पहाड़ 158- 2016- दस-3 दिनांक 31-03- 2017.	14-04- 2017	उत्तर—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-01 से 09 तक कृत्रिम वन सीमा。 पूर्व—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-09 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा。 दक्षिण—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-13 से 16 तक कृत्रिम वन सीमा。 पश्चिम—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-16 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा。	
<u>कुल योग . .60.000</u>										

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-82-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-82-2021-दस-3, दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th September 2021

No. F-25-82-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest.

(1) This Forest Block Lies between N-21°56'45.134" to N 21°56'13.844" North Latitude and E 74°59'41.033" to E 74°0'20.787" East Longitude :—

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDE

District—Barwani, Tehsil—Barwani, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Barwani,

No.	Protected RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra Old No.	Khasra New Block	Area (Hectare)	If Land then Head of the Land	If Land its Noti- fication	Date of Publica- tion of Gazette Number	Description of Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sajwani kham.	9	Sajwani kham/ PF Block Sajwani Kham.	-	246/1	60.000	Govern -ment Hill.	No. F-25- 158-2016- X-3 Date 31-03- 2017.	14-04- 2017.	North.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 01 to 09 protected forest block. East.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 09 to 13 protected forest block. South.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 13 to 16 protected forest block. West.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 16 to 01 protected forest block.
Grant Total 60.000										

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-83-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,

(1) N-21°47'49.910" से N-21°49'55.910" उत्तर अक्षांश तथा E-74°51'51.375" से E-74°51'59.584" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—बड़वानी, वनमण्डल—बड़वानी, वनपरिष्केत्र—बड़वानी

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है	यदि राजपत्र में संरक्षित वन है तो उसकी भूमि है	राजपत्र में प्रकाशन का उसकी दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	सुस्तीखेड़ा/ सुस्तीखेड़ा संरक्षित वन खण्ड.	17	सुस्तीखेड़ा/ सुस्तीखेड़ा संरक्षित वन खण्ड.	-	754/1/1 पैकी.	1.083 पहाड़	शासकीय पहाड़	एफ.-25- 2017. 2016- दस-3 दिनांक 31-03- 2017.	14-04- 2017. 2016- दस-3 दिनांक 31-03- 2017.	उत्तर—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-03 से 04 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-4 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.

कुल योग . .1.083

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-83-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-83-2021-दस-3, दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th September 2021

No. F-25-83-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest.

(1) This Forest Block Lies between N-21°47'49.910" to N-21°49'55.910" North Latitude and E-74°51'51.375" to E-74°51'59.584" East Longitude :—

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Barwani, Tehsil—Barwani, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Barwani,

No.	Protected RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue	If Protected Land	Date of Publication	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sustikheda	17	Sustikheda/ PF Block Sustikheda.	-	754/1/1 (Paki)	1.083	Govern- ment Hill.	No. F-25- 155-2016- X-3 Date 31-03- 2017.	14-04- 2017.	North.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 2. protected forest block.
										East.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to 3. protected forest block.
										South.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 3 to 4. protected forest block.
										West.—Artificial Forest boundary from Pillar Number 4 to 1. protected forest block.

Grant Total 1.083

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-93-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,

1. N-22°0'59.519" से N-22°0'44.300" उत्तर अक्षांश तथा E-75°1'37.386" से E-75°02'15.200" पूर्व देशांश,
2. N-22°0'39.740" से N-22°0'35.680" उत्तर अक्षांश तथा E-74°59'35.560" E से E-74°59'41.890" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है.

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—बड़वानी, वनपण्डल—बड़वानी, वन परिक्षेत्र—बड़वानी

क्र. वनखण्ड	आरक्षित हल्का क्र.	पटवारी वनखण्ड	ग्राम/ संरक्षित	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि में भूमि है	यदि वन है तो उसका मद	राजपत्र में वन है तो उसकी क्र.	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	तलवाड़ा बुजुर्ग “ए”	22	तलवाड़ा बुजुर्ग/ तलवाड़ा बुजुर्ग संरक्षित वन खण्ड	-	12/1/1	19.402	शासकीय पहाड़	एफ.-25- 161- 2016- दस-3 दिनांक 23-03- 2017	7-04- 2017	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड वन कक्ष क्रमांक-338 का मुनारा क्र. 05 एवं मुनारा क्रमांक 1 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 12 से 30 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 30 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड क्रमांक 338 के मुनारा क्रमांक 06 तक. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड क्र. 338 का मुनारा क्र. 6 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	लोनसरा बुजुर्ग	21	लोनसरा बुजुर्ग/ लोनसरा बुजुर्ग संरक्षित वन खण्ड	-	51/1क	1.467	शासकीय बेड़ी	एफ.-25- 161- 2016- दस-3 दिनांक 23-03- 2017	7-04- 2017	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वन खण्ड मुनारा क्र. 10 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 11 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 04 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.
<hr/>										
योग . . 1.467										
<hr/> <u>कुलयोग . . 20.869</u>										

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-93-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-93-2017-दस-3, दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th September 2021

No. F-25-93-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest.

(1) This Forest Block Lies between N-22°0'59.519" to N-22°0'44.300" North Latitude and E-75°1'37.386" to E-75°02'15.200" East Longitude :—

(2) This Forest Block Lies between N-22°0'39.740" to N-22°0'35.680" North Latitude and E-74°59'35.560" to E-74°59'41.890" East Longitude :—

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Barwani, Tehsil—Barwani, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Barwani,

No.	Protected RF Forest Block	Patwari Halka	Village/ PF Block	Khasra Old	Khasra New	Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Noti- fication Number	Date of Publication and Date Gazette	Description of Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Talwada Bujurg "A"	22	Talwada Bujurg PF Block- Talwada Bujurg.	-	12/1/1	19.402	Govern- ment Hill.	No. F-25- 161-2016- X-3 Date 23-03- 2017	07-04- 2017	North.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 of Compat- ment No. 338 to Pillar 1 to 12 of protected Forest Block. East.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 30 of Protected Forest Block. South.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 30 to 46 & Pillar No. 06 of C o m p a r t m e n t No. 338. West.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 05 of C o m p a r t m e n t No. 338 to Protected Forest Block.
						Total . . 19.402				
2	Lonsara Bujurg	21	Lonsara Bujurg PF Block- Lonsara Bujurg.	-	51/1 (K)	1.467	Govern- ment Hillock	No. F-25- 161-2016- X-3 Date 23-03- 2017	07-04- 2017	North.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 10 of protected Forest Block. East.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 11 Protected Forest Block. South.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 4 of Protected Forest Block. West.—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 8 of Protected Forest Block.
						Total . . 1.467				
						Grant Total . . 20.869				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-94-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,

N-21°53'53.498" से N-21°54'7.542" उत्तर अक्षांश तथा E-74°47'54.398" से E-74°48'30.920" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—पाटी, वनमण्डल—बड़वानी, वनपरिक्षेत्र—पाटी

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना क्र.	खसरा क्रमांक नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि भूमि है	यदि वन है तो उसका मद	राजपत्र में संरक्षित प्रकाशन का दिनांक क्र.	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ठेंगचा	20	ठेंगचा/ठेंगचा संरक्षित वनखण्ड	— — —	235 237 378/1 —	8.106 5.706 15.080 3.885	शासकीय पहाड़ी	एफ.-25- 117- 2016- दस-3 15-09- 2016	30-9- 2016 2016- दस-3 दिनांक 15-09- 2016	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 29 से 44 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 44 से 48 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 48 से 88 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 88 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा.

कुल योग . .32.777

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-94-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-94-2017-दस-3, दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th September 2021

No. F-25-94-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule belows as Reserved Forest. This Forest Block Lies between N-21°54'7.542" to N 21°53'53.498" North Latitude and E-74°47'54.398" to E-74°48'30.920" East Longitude :—
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Barwani, Tehsil—Pati, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Pati

No.	Protected RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue	If Protected Land	Date of Publication	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Thengcha	20	Thengcha/ PF Block	-	235	8.106	Govt. Hill	No. F-25- 117-2016-	30-09- 2016	North.—Artifical Forest Bourndary from Pillar No. 29 to 44 of Protected Forest Bolck.
			Thengcha.	-	237	5.706		X-3		
				-	378/1	15.080		Date		
				-	379	3.885		15-09- 2016		
										East.—Artifical Forest Bourndary from Pillar No. 44 to 48 of Protected Forest Bolck.
										South.—Artifical Forest Bourndary from Pillar No. 48 to 88 of Protected Forest Bolck.
										West.—Artifical Forest Bourndary from Pillar No. 88 to 29 of Protected Forest Bolck.

Total 32.777

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-95-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन भूमि जो वनखण्ड N-21°54'07" से N-21°55'15" उत्तर अक्षांश तथा E-75°05'05" से E-75°15'13" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों को पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—राजपुर, वनमण्डल—बड़वानी, वनपरिक्षेत्र—राजपुर

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना क्र.	खसरा क्रमांक नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	यदि राजस्व भूमि है	यदि वन है तो उसका मद	राजपत्र में संरक्षित प्रकाशन का उसकी क्र. और दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	खड़की	3	खड़की/संरक्षित वनखण्ड	-	101/1	90.814	बैडी	डी. 134- 206-	30-1- 2004.	उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 7 तक, ग्राम मोरानी एवं ग्राम बुदरा की सीमा. पूर्व—मुनारा क्र. 7 से 73 तक खसरा क्र. 101/14, 101/13, 101/15, 101//16, 101/33, 101/31, 99, नाला, 101/8, 101/11, 101/22, 100, 101/ 12, 101/22, 101/ 20, 101/19, 101/ 36, 101/21, 101/ 26, 101/10, 101/9 एवं 101/30 की सीमा.
			खड़की कक्ष	-				दस-3- 2004/ दिनांक 21-1- 2004.		दक्षिण—मुनारा क्र. 79 से 79 तक, खसरा क्र. 101/ 28 एवं ग्राम बिलवानी की सीमा.
			क्र. पी-329	-						पश्चिम—मुनारा क्र. 79 से 81 एवं 1 ग्राम बिलवानी की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										आंतरिक सीमा
										खण्ड-1
										उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/38 की सीमा.
										पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र. 101/38 की सीमा.
										दक्षिण—मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 38.
										पश्चिम—मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र. 101/38 की सीमा.
										खण्ड-2
										उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/37 की सीमा.
										पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र. 101/37 की सीमा.
										दक्षिण—मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 37.
										पश्चिम—मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र. 101/37 की सीमा.
										खण्ड-3
										उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 3 तक खसरा क्र. 101/27 की सीमा.
										पूर्व—मुनारा क्र. 3 से 4 तक खसरा क्र. 101/27 की सीमा.
										दक्षिण—मुनारा क्र. 4 से 5 तक, खसरा क्र. 101/ 27.
										पश्चिम—मुनारा क्र. 5 से 7 एवं 1 खसरा क्र. 101/27 की सीमा.
										खण्ड-4
										उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 3 तक खसरा क्र. 101/17 की सीमा.
										पूर्व—मुनारा क्र. 3 से 4 तक खसरा क्र. 101/17 की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										दक्षिण—मुनारा क्र. 4 से 5 तक, खसरा क्र. 101/17.
										पश्चिम—मुनारा क्र. 5 एवं 1 खसरा क्र. 101/17 की सीमा.

खण्ड-5

उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/25 की सीमा.
 पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र. 101/25 की सीमा.
 दक्षिण—मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/25.
 पश्चिम—मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र. 101/25 की सीमा.

खण्ड-6

उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/39 की सीमा.
 पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र. 101/39 की सीमा.
 दक्षिण—मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/39.
 पश्चिम—मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र. 101/39 की सीमा.

खण्ड-7

उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 3 तक खसरा क्र. 101/23 की सीमा.
 पूर्व—मुनारा क्र. 3 से 4 तक खसरा क्र. 101/23 की सीमा.
 दक्षिण—मुनारा क्र. 4 से 5 तक, खसरा क्र. 101/23.
 पश्चिम—मुनारा क्र. 5 एवं 1 खसरा क्र. 101/23 की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

खण्ड-8

उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 5 तक खसरा क्र. 101/24, 101/34 की सीमा.
 पूर्व—मुनारा क्र. 5 से 6 तक खसरा क्र. 101/34 की सीमा.
 दक्षिण—मुनारा क्र. 6 से 11 तक, खसरा क्र. 101/34 एवं 101/24 की सीमा.
 पश्चिम—मुनारा क्र. 11 से 14 एवं 1 तक खसरा क्र. 101/24 की सीमा.

खण्ड-9

उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/35 की सीमा.
 पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र. 101/35 की सीमा.
 दक्षिण—मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/35 की सीमा.
 पश्चिम—मुनारा क्र. 4 एवं 1 तक, खसरा क्र. 101/35 की सीमा.

खण्ड-10

उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/32 की सीमा.
 पूर्व—मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र. 101/32 की सीमा.
 दक्षिण—मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/32 की सीमा.
 पश्चिम—मुनारा क्र. 4 से 5 एवं 1 खसरा क्र. 101/32 की सीमा.

योग . . 90.814

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 संजय मोहरी, पदेन सचिव,

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-95-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-95-2017-दस-3, दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव।

Bhopal, the 16th September 2021

No. F-25-95-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Lies between N-21°54'07" to N-21°55'15" North Latitude and E-75°05'05" to E-75°05'13" E-East Longitude :—
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Barwani, Tehsil—Rajpur, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Rajpur

No.	Protected RF Forest Block	Patwari Halka	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Land then Head of the Land	If Protected Land its Noti- fication Number and Date	Date of Publi- cation of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Khadki	3	Khadki/ PF Block Khadki Compartment No. P-329	-	101/1	90.814	Badi	D-134- 206-X- 3-2004/ Date 21-1- 2004.	30-1- 2004	North.—Pillar No. 1 to 7 Bourndaries of Village Morani & Village Budara. East.—Pillar No. 87 to 73 Bourndaries of Kh. No. 101/14, 101/13, 101/15, 101/16, 101/ 33, 101/31, 99 Nala 101/8, 101/11, 101/ 22, 100, 101/12, 101/ 22, 101/20, 101/19, 101/36, 101/21, 101/ 26, 101/10, 101/9 & 101/30. South.—Pillar No. 73 to 79 Bourndaries of Kh. No. 101/28& Village Bilwani. West.—Pillar No. 79 to 81 & 1 Bourndary of Bilwani.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
internal limits										
Block-1										
North. —Pillar No.1 to 2, Kh. No. 101/38. East. —Pillar No. 2 to 3, Kh. No. 101/38. South. —Pillar No. 3 to 4, Kh. No. 101/38. West. —Pillar No. 4 to 1, Kh. No. 101/38.										

Block-2

North. —Pillar No.1 to 2, Kh. No. 101/37.
East. —Pillar No. 2 to 3, Kh. No. 101/37.
South. —Pillar No. 3 to 4, Kh. No. 101/37.
West. —Pillar No. 4 to 1, Kh. No. 101/37.

Block-3

North. —Pillar No.1 to 3, Kh. No. 101/27.
East. —Pillar No. 3 to 4, Kh. No. 101/27.
South. —Pillar No. 4 to 5, Kh. No. 101/27.
West. —Pillar No. 5 to 7 & 1, Kh. No. 101/27.

Block-4

North. —Pillar No.1 to 3, Kh. No. 101/17.
East. —Pillar No. 3 to 4, Kh. No. 101/17.
South. —Pillar No. 4 to 5, Kh. No. 101/17.
West. —Pillar No. 5 & 1, Kh. No. 101/17.

Block-5

North. —Pillar No.1 to 2, Kh. No. 101/25.
East. —Pillar No. 2 to 3, Kh. No. 101/25.
South. —Pillar No. 3 to 4, Kh. No. 101/25.
West. —Pillar No. 4 & 1, Kh. No. 101/25.

Block-6

North. —Pillar No.1 to 2, Kh. No. 101/39.
East. —Pillar No. 2 to 3, Kh. No. 101/39.
South. —Pillar No. 3 to 4, Kh. No. 101/39.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										West.—Pillar No. 4 1, Kh. No. 101/39.

Block-7

North.—Pillar No.1 to 3,
Kh. No. 101/23.

East.—Pillar No. 3 to 4, Kh.
No. 101/23.

South.—Pillar No. 4 to 5,
Kh. No. 101/23.

West.—Pillar No. 5 & 1,
Kh. No. 101/23.

Block-8

North.—Pillar No.1 to 5,
Kh. No. 101/24 &
101/34.

East.—Pillar No. 5 to 6, Kh.
No. 101/34.

South.—Pillar No. 6 to 11,
Kh. No. 101/34 &
101/24.

West.—Pillar No. 11 to 14
& 1, Kh. No. 101/24.

Block-9

North.—Pillar No.1 to 2,
Kh. No. 101/35.

East.—Pillar No. 2 to 3, Kh.
No. 101/35.

South.—Pillar No. 3 to 4,
Kh. No. 101/35.

West.—Pillar No. 4 & 1,
Kh. No. 101/35.

Block-10

North.—Pillar No.1 to 2,
Kh. No. 101/32.

East.—Pillar No. 2 to 3, Kh.
No. 101/32.

South.—Pillar No. 3 to 4,
Kh. No. 101/32.

West.—Pillar No. 4 to 5 &
1, Kh. No. 101/32.

Total . . 90.814

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-98-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन (पड़त भूमि और वनभूमि) जो वनखण्ड N-22°06'33" से N-22°06'54" उत्तर अक्षांश तथा E-74°14'03" से E-74°14'56" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—बड़वानी, वनमण्डल—ठीकरी, वनपरिक्षेत्र—राजपुर

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि भूमि है	यदि वन है तो उसका मद	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	चिचली	13	चिचली/ संरक्षित वनखण्ड	-	165/1/1/1	20.000	ना.का.का	डी.-9-	2-1-	उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 7 तक खसरा न. 159/1, 163/1/1/2, 163/2,
				-	163/1/1/1	25.000	ना.का.का	878-	2004.	163/4, 163/5, 163/1/2, 153/3,
			चिचली		/1/1			3999 दस-		153/1, 165/2, 165/3/2, 165/3/1, 165/4 की सीमा।
			कक्ष					3-2003/		
			क्रमांक					दिनांक		
			पी-320.					24-12-		
								2003.		

पूर्व— मुनारा क्र. 7 से 11 तक राजस्व ग्राम चैनपुरा की सीमा एवं खसरा नं. 165/1/1/1 का शेष भाग।

दक्षिण— मुनारा क्र. 11 से 31 तक खसरा नंबर 165/1/1/1 का शेष भाग एवं खसरा क्र. 166/2 व 164 की सीमा, खसरा क्र. 163/1/1/1/1 का शेष भाग खसरा क्र. 168, 163/1/1/2, 169, 170, 171/1/1/1 की सीमा।

पश्चिम— मुनारा क्र. 31 से 38 एवं 01 तक, खसरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										नं. 163/1/1/1/1/1 का शेष भाग खसरा नं. 162/2 एवं 160 की सीमा.

कुल योग . . 45.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-98-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-98-2017-दस-3, दिनांक 17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 17th September 2021

No. F-25-98-2017-X-3.—In exercise of the power conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the protected (waste land and Forest land) specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Lies between N-22°06'33" to N-22°06'54" North Latitude and E-74°14'03" to E-74°14'56" East Longitude :—
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Barwani, Tehsil—Pati, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Pati

No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra Old	Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected forest land its Noti- fication Number and Date	Date of Publi- cation of Gazette	Description of Boundaries	
									(1)	(2)
1	Chichli	13	Chichli/ PF Block Chichli Comp. No. P-320	- - 1/1 1/1/1/1	165/1/ 163/1 25.000	kast is not worth kast is not worth	D-9-878- 3999-X- 3-2003/ Date 24-12- 2003.	20-1- 2004.	North.—Pillar No. 1 to 7 boundary of Revenue Village Chainpura and Remaining part of Khasra No. 165/1/1/1.	East.—Pillar No. 7 to 11 boundary of Revenue Village Chainpura and Remaining part of Khasra No. 165/1/1/1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
South.—Pillar No. 11 to 31 remaining part of Khasra No. 165/1/1/1 & boundary of Khasra No. 166/2 and Ramianing part of Khasra No. 163/1/1/1/1 boundaries of khasra No. 168, 163/1/1/2, 169, 170, 171/1/1/1.										
West.—Pillar No.31 to 38 and 01, ramaining part of khasra No. 163/1/1/1/1 & 162/2, 1 boundary of khasra No. 160.										

Total 45.000

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-117-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन (पड़त भूमि और वनभूमि) जो वनखण्ड N-21°55'06" से N-21°35'55" उत्तर अक्षांश तथा E-75°13'38" से E-75°14'48" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को वन आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।
- (ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—बड़वानी, वनमण्डल—राजपुर, वनपरिक्षेत्र—राजपुर

क्र. वनखण्ड	आरक्षित हल्का क्र.	पटवारी वनखण्ड	ग्राम/ संरक्षित	खसरा क्रमांक पुराना नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है	यदि संरक्षित वन है तो तो उसका मद	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बासवी	17	बासवी	-	253/1 13.359	बैडी	डी 134-	30-01-	उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 14 तक	
			लिंगवा	255/1	32.050	बैडी	206-	2004.	खसरा क्र. 172/1,	
			संरक्षित	योग			दस-3-		184/1, 185/1,	
			वनखण्ड	132/1	20.000	बैडी	2004/		135, 132/11 एवं	
			बासवी				दिनांक		132/1 का शेष भाग	
			कक्ष क्र.				21-01-		(तालाब) की सीमा.	
			पी-326.				2004.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पूर्व— मुनारा क्र. 14 से 24 तक खसरा क्र. 137, 132/1 एवं 53/2 की सीमा।
										दक्षिण—मुनारा क्र. 24 से 48 तक ग्राम बासवी एवं खसरा क्र. 252/1, 240/2, 240/1, 237/2, 236 और 255/1 की सीमा।
										पश्चिम—मुनारा क्र. 48 से 53 एवं 1 तक खसरा क्रमांक 256, 257 एवं 258 की सीमा।

योग . . 65.409

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-117-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-117-2017-दस-3, दिनांक 17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 17th September 2021

No. F-25-117-2017-X-3.—In exercise of the power conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the protected forest (waste land and Forest land) specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between N-21°55'06" to N-21°35'55" North Latitude and E-75°13'38" to E-75°14'48" East Longitude :—
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District—Barwani, Tahsil—Rajpur, Forest Division—Barwani, Forest Range—Rajpur

S. No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra Old Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest Land its Noti- fication Number and Date	Date of Publi- cation of Gazette	Description of Boundary		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Baswi	17	Baswi Lingwa/PF Block Baswi Compart No. P-326.	- 253/1 255/1 Total 132/1	13.359 32.050 20.000	Badi Badi Badi Dated 21-1- 2004	D-134- 206-X- 3-2004/ Dated 21-1- 2004	30-1- 2004	North.—Pillar No. 1 to 14 Boundaries of Kh. No. 172/1, 184/1, 185/1, 135, 132/11 & Remaining Part of 132/1(Pond).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										East.—Pillar No. 14 to 24, Boundaries of kh. No. 137, 132/1 & 53/2.
										South.—Pillar No. 24 to 48, Boundaries of Village Baswi & kh. No. 552/1, 240/2, 240/1, 237/2, 236 & 255/1.
										West.—Pillar No.48 to 53 & 1, Boundary of kh. No. 256, 257, 258.

Total . . 65.409

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-119-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :—

- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन भूमि जो वनखण्ड N-22°02'23" से N-22°02'48" उत्तर अक्षांश तथा E-75°04'50" से E-75°05'39" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।
- (ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—अंजड़, वनमण्डल—बड़वानी, वनपरिक्षेत्र—राजपुर

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा पुराना	क्रमांक पुराना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है	यदि वन है तो उसकी मद	राजपत्र में वन है तो उसकी अधिसूचना का और दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	चकेरी	12	चकेरी/ संरक्षित वनखण्ड	-	151	25.641	पहाड	दी 9-878 02-01- -3999- 2004.	उत्तर—मुनारा क्र. 1 से 4 तक खसरा नं. 158/1, 152/2 की सीमा। पूर्व— मुनारा क्र. 4 से 22 तक खसरा नं. 153/ 1, 153/2, 154, 159, 160, 158, 157, 162, 166, 170/1, 170/2 की सीमा। दक्षिण—मुनारा क्र. 22 से 31 तक, खसरा नं. 170/ 3, 161/1, 161/2, 179, 180, 189, 187, 190/2, 190/1 की सीमा।	
			चकेरी		161/1	36.551	पहाड	दस-3- 2003/ दिनांक 24-12 2003.		
			कक्ष क्र. पी-319							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम—मूनारा क्र. 31 से 36 एवं 01 तक खसरा नंबर 139/1, 141/1, 149/1, 149/2 की सीमा.

योग . . 62.192

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-119-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-119-2017-दस-3, दिनांक 17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, पदेन सचिव.

Bhopal, the 17th September 2021

No. F-25-119-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the protected forest specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Lies between N-22°02'23" to N-22°03'48" North Latitude and E-75°04'50" to E-75°05'39" East Longitude :—
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Barwani, Tehsil—Anjad, Forest Division—Barwani, , Forest Range—Rajpur

No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra Old	Area Old	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected forest Land its Noti- fication Number and Date	Date of Publi- cation of Gazette	Description of Boundaries	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Chakeri	-	Chakeri /PF Block Chakeri Comp. No. P-319.	-	151 161/1	25.641 36.551	The Mountain The Mountain	D-9-878 3999-X- 3-2003/ Date 24-12- 2003	02-01- 2004	North.—Pillar No. 1 to 4, Boundaries of Khasra No. 158/1, 152/2. East.—Pillar No. 4 to 22 Boundaries of Khasra No. 153/1, 153/2, 154, 159, 160, 158, 157, 162, 166, 170/1, 170/2. South.—Pillar No. 22 to 31, Boundaries of Khasra No. 170/3, 161/1, 161/2, 179, 180, 189, 187, 190/2, 190/1. West.—Pillar No. 31 to 36, and Boundaries of Khasra No. 139/1, 141/1, 149/1, 149/2.
Total										62.192

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 17 फरवरी 2021

प्र. क्र.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु ग्राम नीमगांव तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के ढूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टियों के कथन के आधार पर भी होगा। निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—नीमगांव, तहसील—बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	0.05	0.00	0.05

अनुसूची (2)

बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण।

स. क्र.	भूमि धारक का नाम	खसरा	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्राम—नीमगांव								
1	सुवर्णा बाई पति बलीराम निवासी शाहपुर भूमि स्वामी।	22	0.50	0	0.50	0.05	0	0.05
		योग . .	0.50	0	0.50	0.05	0	0.05

नोट.—अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 जुलाई 2021

सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना

नस्ती क्र. एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 0001-अ-82-2021-22.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्र. 2365-कार्य-सी.एम. हेल्पलाइन-2020, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 प्रस्तुत कर पलासी तालाब योजना हेतु ग्राम नावली, पटवारी हल्का नं. 16, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकमा 0.030 हेक्टेर। भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही अवगत कराया कि पलासी तालाब योजना का कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अन्य द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	16	नावली	0.30	पलासी तालाब योजना

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र. एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 0001-अ-82-2021-22.—चौंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

प्रस्तावित पलासी तालाब योजना की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	नावली	0.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा	पलासी तालाब योजना हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्य द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 अगस्त 2021

क्र. 2062-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है—सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद जिला देवास से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—ठिकरिया, तहसील—कन्नौद

क्र.	विवरण	अर्जित किये जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया			योग
		सिंचित	असिंचित	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	दतूनी बांध परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण	-	-	-	11.82 वर्गमीटर

अनुसूची (2)

दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद की प्रभावित

ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का विवरण

ग्राम—ठिकरिया, तहसील—कन्नौद

क्र.	हितग्राही का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	कच्चा मकान का कुल वर्गमीटर			अर्जित की जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री सनोर पिता शंकर, जाति कोरकू, निवासी ग्राम ठिकरिया, हा. मु. संदलपुर, तहसील खातेगांव।	-	-	-	11.82	-	-	11.82

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्रला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) दतिया, जिला दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 24 अगस्त 2021

आदेश क्र. 19-2-1-14-2021-भू-अर्जन.—मॉ रत्नगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंचढा द्वारा उक्त परियोजना में प्रशासक की नियुक्ति किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 842, दिनांक 1 जुलाई 2021 से लेख किया है।

अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय-6 सेक्षण 43 में वर्णित प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान कंडिका (1), (2) एवं (3) सहित किया गया है।

अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय-6 सेक्षण 43 में वर्णित प्रशासक की नियुक्ति कंडिका (1), (2) एवं (3) निहित प्रावधानों के तहत मॉ रत्नगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य के लिये सुश्री दीपशिखा भगत, डिप्टी कलेक्टर (पदनाम से) जिला दतिया को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है। प्रशासक द्वारा अधिनियम में वर्णित अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित करेंगे।

प्रशासक के सम्पूर्ण दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंचढा समस्त व्यवस्थाएँ करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, कलेक्टर।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 27 अगस्त 2021

[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

प्र. क्र. 18-अ-82-20-21भू.अर्ज.-ती.रे.ला.-सिकरौदा-8289.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिए ग्राम-सिकरौदा, तहसील-मुरैना, उपखण्ड, मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रक्षा 0.351 एक रिपोंट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना-तहसील-मुरैना के ग्राम-सिकरौदा, प.ह.नं. 23 रा.नि. वृत्त-3 में उक्त परियोजना के लिये 0.351 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:—

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अधिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1131/2 m2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036	गणेश राम पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2	1131/2 m3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036	सोवरन पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	1118/1 m2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.103	केदार पुत्र रामदयाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	1119/2 m2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	रामखिलौनी पत्नी रामबाबू दशरथ रामनरेश पुत्र रामबाबू ओमवती पुत्री रामबाबू जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	1120/2 m2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	रामखिलौनी पत्नी रामबाबू दशरथ रामनरेश पुत्र रामबाबू ओमवती पुत्री रामबाबू जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
6	1120/ m 2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि योग ..	0.1500 0.351	रामभजन पुत्र भगवान सिंह जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

यह अधिसूचना इसपे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (‘प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्र. 5568-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2021.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-सिंरदई रैयत, सिंरदई गुरेयाथर, तहसील उमरेठ के छिन्दवाड़ा सिंचाई कार्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 2310-कार्य-2021, छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (7) उपधारा (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरान्त अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 5569-प्रस्तु-भू-अर्जन-2021.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-संगम, रहप, कुंडई, उमरडोह, धगडियामाल तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत ढूब प्रभावित ग्राम हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 2310-कार्य-2021, छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (7) उपधारा (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 5570-प्रस्तु-भू-अर्जन-2021.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-भावईकलां, करहैया, मांडई, दमुआ, करमोहनीबंधी, सेमरकुही, बिरजपुरा, नदौरा, हिरयागढ़, बम्हणीमाल, गुजरघाट, बेलगांवमाल, खापासुरजु, बोमलिया, भीमसैनीमाल, बेलगांव रैयत, पर्वतधोरी तहसील जुन्नारदेव के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत संगम-1 बांध एवं संगम-2 बांध से ढूब प्रभावित ग्रामों हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 2310-कार्य-2021, छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (7) उपधारा (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 6 सितम्बर 2021

क्र. 237-भू-अर्जन-सुठालिया परि-2021.—सुठालिया सिंचाई परियोजना निर्माण अन्तर्गत गुना जिले की तहसील मक्कूदनगढ़ के ग्राम खैराड़ रघुनाथपुरा, राजपुरा, कांदीखेड़ा एवं तेजाखेड़ी की भूमि ढूब में आने से नवीन भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार भू-अर्जन कार्यवाही की जा रही है। उक्त परियोजना के ढूब क्षेत्र में भूमि-अर्जन के कारण व्यक्तियों का गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, कुदुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को प्रक्रिया व रीति से किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 28-भू-अर्जन-सुठालिया परि-2021 गुना, दिनांक 5 फरवरी 2021 से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना राघौगढ़ को परियोजना प्रशासनक नियुक्त किया गया था।

उक्त नियुक्ति को मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के अनुक्रम में निरस्त करते हुए, कलेक्टर कार्यालय, जिला गुना की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को परियोजना प्रशासनक नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनक उक्त परियोजना के अन्तर्गत राज्य शासन, समुचित सरकार तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और मानोटरिंग कार्य करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फ्रेंक नोबल ए., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2021

पत्र क्र. 118-प्रका.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 12(1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1) रीवा	(2) रायपुर कर्वुलियान	(3) लोहंद्वार	0.300	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र.).	(5)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी मुख्य नहर की लोहंद्वार माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं के पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 6 सितम्बर 2021

पत्र क्र. 252-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था। कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 10 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ाई जाती है। सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हे. में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) अतरैला 11	(4) 265/2	(5) 0.052	(6) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(7) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु।
योग ..				0.052		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. 455-भू-अर्जन-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 6 फरवरी 2020 एवं 11 फरवरी 2020 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है। क्योंकि रेलवे विभाग से प्रतिकर राशि रु. 300 करोड़ मांग किये जाने से समय पर प्राप्त न होने एवं दिनांक 31 जुलाई 2021 को कम राशि रुपये 60 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। अतः समयावधि में प्रतिकर राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा (मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास, चुरहट/रामपुर नैकिन, बहरी एवं सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:—

(1) भूमि का वर्णन :

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकम (क्षेत्रफल लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

उपखण्ड गोपद बनास

1	गाडा बबन सिंह	12.638	06-02-2020	05-02-2021	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
2	गाडा लोलर सिंह	4.600	06-02-2020	05-02-2021	
3	पड़ेनियाखुर्द	0.314	06-02-2020	05-02-2021	
4	विसैधाटोला	3.767	06-02-2020	05-02-2021	

उपखण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन

1	चंदैनिया	2.596	06-02-2020	05-02-2021	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
2	मझियार	2.118	06-02-2020	05-02-2021	
3	बघवार	6.767	06-02-2020	05-02-2021	
4	बड़खरा-739	2.636	06-02-2020	05-02-2021	

उपखण्ड सिहावल

1	गजरही उन्मुक्त	18.760	06-02-2020	05-02-2021	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
2	कुचवाही	4.434	11-02-2020	10-02-2021	
3	मठ	2.677	06-02-2020	05-02-2021	
4	बेलहा	5.973	06-02-2020	05-02-2021	
5	खैरहा	2.939	06-02-2020	05-02-2021	
6	कराँदी	2.363	11-02-2020	10-02-2021	
7	कुबरी	12.650	11-02-2020	10-02-2021	
8	कुशियारी	5.456	06-02-2020	05-02-2021	
9	बहेरा 685	4.503	06-02-2020	05-02-2021	
10	मटिहनी	10.121	06-02-2020	05-02-2021	
11	देवरी	1.660	06-02-2020	05-02-2021	
12	केशवाही	4.028	11-02-2020	10-02-2021	
13	बहेरा	4.503	06-02-2020	05-02-2021	
14	पताई	3.194	11-02-2020	10-02-2021	
15	बहरी	2.396	06-02-2020	05-02-2021	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय, कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी, गोपदबनास/चुरहट/रामपुर नैकिन / सिहावल, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

सीधी, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. 508-भू-अर्जन-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 16 सितम्बर 2020 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है। क्योंकि रेलवे विभाग से प्रतिक्रिया राशि रु. 300 करोड़ मांग किये जाने से समय पर प्राप्त न होने एवं दिनांक 31 जुलाई 2021 को कम राशि रुपये 60 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। अतः समयावधि में प्रतिक्रिया राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा (मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील रामपुर नैकिन, गोपदबनास एवं सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:—

(1) भूमि का वर्णन :

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

तहसील-रामपुर नैकिन

1.	नैकिन	17.894	16-09-2020	15-09-2021	धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
----	-------	--------	------------	------------	---

तहसील-गोपदबनास

2.	कोतरकला	3.749	16-09-2020	15-09-2021
3.	कोठार	6.091	16-09-2020	15-09-2021

तहसील बहरी

4.	चंदवाही	15.901	16-09-2020	15-09-2021
	04 ग्राम			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु।

(3) भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन, गोपदबनास एवं सिहावल से देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खां, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलोकटर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर-मालवा, दिनांक 17 अगस्त 2021

प्र. क्र. ए-817.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला-आगर-मालवा कुण्डलिया बाँध निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम—धनोरा, तहसील—नलखेड़ा

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
निजी भूमि			
1	कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	11.870	7.594
		योग . .	7.594

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा नम्बर	कुल रकबा		कुल अर्जित भूमि (हे. में)
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	नारायण पिता नानूराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	494	1.250	1.250	
		506	0.550	0.440	
2	बापू पिता नंदा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	495	0.370	0.370	
		493	0.250	0.200	
3	सिद्धनाथ पिता नाशू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	504	0.080	0.080	
		1213	0.260	0.200	
4	गंगाराम पिता नानूराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	508	0.550	0.350	
5	गीताबाई पति कंवर लाल जाति बलाई शासकीय पट्टेदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	602	1.070	0.700	
6	ईश्वर पिता हीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1192/1	0.060	0.060	
7	नंदकिशोर पिता हीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1192/3	0.050	0.050	
8	गिरधारी पिता रुग्नाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1192/5	0.110	0.110	
9	भेरुलाल पिता बद्रा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1192/7	0.300	0.140	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	मन्ना पिता लच्छा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1192/8	0.200	0.100
11	होकम सिह पिता लालजीराम जाति बलाई नि. ग्राम भूमिस्वामी	1194	0.420	0.220
12	शिवलाल पिता लालजी जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	1195	0.420	0.280
13	भागीरथ पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1205 500	0.260 0.080	0.260 0.080
14	हीरालाल पिता नाथुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	499 1212	0.080 0.260	0.015 0.160
15	हीरादास पिता उंकारदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	593	0.510	0.440
16	मंदिर श्री राम जानकी ग्राम हाजा प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर मध्यप्रदेश पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	594	0.540	0.440
17	मानसिंह पिता भंवरलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1210	0.260	0.050
18	देवीसिंह पिता अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1209	0.310	0.070
19	कालु पिता दोला प्रेमनारायण पिता आत्माराम समान भाग जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1208	0.070	0.070
20	रामभरोसे पिता धुला अयोध्याबाई विधवा धुला दुर्गाबाई कौशल्याबाई कलाबाई पुत्रीया धुला जाति खाती, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	441 445/2	0.450 0.040	0.016 0.040
21	विक्रम पिता रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	440/1223	0.170	0.024
22	बिरबल पिता बापुलाल भील	591/6 592/6	0.020 0.100	0.008 0.001
23	गोपाल कमल पिता जोरावरसिंह जाति खाती पता निवासी भूमि स्वामी	434	0.690	0.690
24	अम्रत पिता नाथुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार	509	2.090	0.680
		योग . .	11.870	7.594

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए-819.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला-आगर-मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के द्वृब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम—लाडोन तहसील—नलखेड़ा

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)

निजी भूमि

1	कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	3.420	0.746
योग ..			<u>0.746</u>

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा नम्बर	कुल रकबा		कुल अर्जित भूमि (हे. में)
			(3)	(4)	(5)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	बाबूलाल पिता रामलाल जाति सौंधिया	330/4/3	0.003	0.003	0.003
2	रेखा पति संजीव कुमार जाति महाजन पता निवासी ग्राम बडागांव	199/1 335	1.672 1.745	0.116 0.627	
योग ..			<u>3.420</u>	<u>0.746</u>	

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुनसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. जा. क्र. ए.-823.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम पटना भीलखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा, कुण्डलिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम—पटना भीलखेड़ी, तहसील—नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)

निजी भूमि

1	कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	30.074	27.861
योग ..			<u>27.861</u>

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉथ परियोजना में प्रभावित ग्राम पटना भीलखेड़ी

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम पता सहित	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मानसिंह पिता बनेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम ढाबला सोनगरा.	2/min3 25/min2	0.511 0.062	0.238 0.062	
	योग ..		0.573	0.300	
2	मुंशी पिता बोन्दा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम ढाबला सोनगरा.	2/min7	1.453	0.681	
	योग ..		1.453	0.681	
3	कालु पिता भैया जी जाति गुजर नि. ग्राम भूमिस्वामी ढाबला सोनगरा.	68/min2 124/1 min2	0.843 0.094	0.371 0.094	
	योग ..		0.937	0.465	
4	तोलाराम मोडसिह पिता नानूराम जाति गुजर नि. ग्राम भूमिस्वामी.	74/1	0.419	0.082	
	योग ..		0.419	0.082	
5	हिन्दु सिह पिता रतन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	101/4/min1	0.209	0.106	
	योग ..		0.209	0.106	
6	बन्धीलाल पिता मन्ना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	116/1 116/3 118 185/20 185/12 योग ..	0.115 0.084 0.219 1.630 0.732 2.780	0.115 0.084 0.219 1.630 0.732 2.780	
7	शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेड़ी भूमिस्वामी.	117/2 121/2/min 2 220/26 योग ..	0.115 0.330 0.052 0.497	0.115 0.330 0.052 0.497	
8	तोलाराम पिता मनु जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी पता निवासी ग्राम मजराभीलखेड़ी भूमिस्वामी.	123/3/min 4 153/4/min 2 योग ..	0.023 0.084 0.107	0.023 0.084 0.107	
9	सीताराम पिता मनु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेड़ी भूमिस्वामी.	123/3/min 8 220/8/min 8 161/1/min 5	0.023 0.042 0.028	0.023 0.042 0.028	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		153/4/min 2	0.085	0.085
		136/4/मिन-8	0.032	0.032
		128/8/min 8	0.031	0.031
		योग ..	0.241	0.241
10	हेमराज पिता बजरंगलाल जाति कुलमी पता निवासी ग्राम दावतपुर भूमिस्वामी.	124/1min 1 255/min 1 202/2/मिन-1	0.596 0.099 0.032	0.596 0.099 0.032
		योग ..	0.727	0.727
11	होकम सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.	124/2/2	0.178	0.178
		योग ..	0.178	0.178
12	सीताबाई पति बालुसिंह जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम मजराखेडा भूमिस्वामी.	128/4 137/1/1	0.586 0.053	0.586 0.053
		योग ..	0.639	0.639
13	देवीसिंह पिता बापूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पटना भीलखेडी भूमिस्वामी.	128/5min 2 220/8/min 2 206/3 136/4min 2 123/3min 2 205/2 208/2 214/7	0.104 0.070 0.084 0.106 0.077 0.073 0.075 0.048	0.104 0.070 0.084 0.106 0.077 0.073 0.075 0.048
		योग ..	0.637	0.637
14	हिन्दु सिह पिता बापुसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.	128/5min 3 136/4min 3 214/8 220/8/min 3	0.105 0.107 0.048 0.070	0.105 0.107 0.048 0.070
		योग ..	0.330	0.330
15	बाबुलाल सीताराम पिता रुगनाथ छम्माबाई वि. रुगनाथ जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.	132/3/2 127/1/3 139/3min 1 369/1/min 3	0.431 0.174 0.554 1.045	0.431 0.174 0.554 1.000
		योग ..	2.204	2.159
16	शिवसिह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी	134/3/3 202/10/2 130/2 132/5	0.073 0.188 0.021 0.021	0.073 0.188 0.021 0.021
		योग ..	0.303	0.303

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	गोकल पिता रामचंद्र जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	134/4/3 योग ..	0.242 0.242	0.242 0.242
18	ईन्दरसिंह भवरलाल गब्बू दुलेसिंह मुकेश पिता बल्देव अयोध्याबाई वि बल्देव जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	134/5/2 220/24 योग ..	0.931 0.073 1.004	0.931 0.073 1.004
19	रामचन्द्र पिता बापुलाल जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	136/5 योग ..	0.042 0.042	0.042 0.042
20	संजनाबाई माता कृष्णाबाई ना. बा. सरपर. माता कृष्णाबाई जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेडी भूमि स्वामी.	176/10 योग ..	0.125 0.125	0.125 0.125
21	रामनारायण पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पटना भीलखेडी भूमि स्वामी.	202/4 योग ..	0.146 0.146	0.146 0.146
22	हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह जाति गुजर पता नि. भीलखेडी मजरा भूमि स्वामी.	133/4 min 2 222/2 198/2/2 135/4 योग ..	0.401 0.261 0.157 0.282 1.101	0.401 0.261 0.157 0.282 1.101
23	भगवानसिंह पिता रतनलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	215/2 योग ..	0.209 0.209	0.209 0.209
24	काशीराम पिता कालु जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेडी भूमि स्वामी.	220/2/min-1 योग ..	0.256 0.256	0.256 0.256
25	राधेश्याम पिता उदेसिंह जाति गुजर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	220/10/min 1 योग ..	0.031 0.031	0.031 0.031
26	देवीसिंह बालुसिंह पु. अमरसिंह जाति सोंदिया पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	220/32/min 1 योग ..	0.036 0.036	0.036 0.036
27	रमेश पिता रामचन्द्र जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी	221/2 योग ..	0.360 0.360	0.360 0.360
28	गोरधनसिंह सागरसिंह पिता बालुसिंह सोहनबाई वि. मेहरबानसिंह सीताबाई वि. बालुसिंह हि. सम्भाग जाति सोंध्या पता निवासी ग्राम मजराखेडा भूमि स्वामी.	224/3 योग ..	0.136 0.136	0.136 0.136

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	नाथु पु. पुरालाल अनोखबाई पति नाथुसिंह जाति सौंदिया पता नि. मजराखेड़ा, भूमि स्वामी.	241/13 241/14 योग ..	0.052 0.073 0.125	0.016 0.022 0.038
30	देवेन्द्रसिंह उर्फ कुलजितसिंह पिता शिवनारायणसिंह हि. 23 ऐसे रामकुवरबाई वि. शिवनारायण हि. 77 ऐसे जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	270/1/2/1 271/1 योग ..	1.335 2.886 4.221	1.335 2.886 4.221
31	इंदरसिंह पिता गोरधनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	241/3 योग ..	0.178 0.178	0.055 0.055
32	ईश्वर सिंह पिता शंकरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	243/2/min 2 योग ..	0.102 0.102	0.102 0.102
33	रतनलाल पिता प्रताप जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	249/1/मिन-1 योग ..	0.324 0.324	0.324 0.324
34	भूरीबाई उर्फ अयोध्याबाई पति सिध्दु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	263/min 1 योग ..	0.188 0.188	0.188 0.188
35	नारायण गंगाराम पिता मंगु हरिलाल कमल पिता चंदर जाति चमार पता नि. भंडावद भूमि स्वामी भूमि पट्टे से प्राप्त.	272/min 4 योग ..	0.836 0.836	0.836 0.836
36	मादु पिरुलाल पिता नाथु गीताबाई हरकुबाई पुत्रीया नाथू जाति चमार पता निवासी भंडावद भूमि स्वामी भूमिपट्टे से प्राप्त.	272/min 6 योग ..	0.492 0.492	0.492 0.492
37	रामप्रसादबाई पति प्रहलादसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेड़ी भूमि स्वामी.	139/3/min 3 220/2/min 3 176/8/min 1 योग ..	0.501 1.178 0.250 1.929	0.501 1.178 0.250 1.929
38	गोरधनसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी.	129/1 129/2 144/3 योग ..	0.407 0.429 0.334 1.170	0.407 0.429 0.334 1.170
39	मानसिंह पिता शंकरसिंह जाति गुर्जर	145/4 योग ..	0.031 0.031	0.031 0.031

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	शंकरलाल पिता रामचंदर जाति गुर्जर	222/3 योग ..	0.366 0.366	0.366 0.366
41	इंदरसिंह पिता शंकर सिंह जाति गुर्जर	68/min 10 योग ..	0.117 0.117	0.117 0.177
42	सोदानसिंह पिता कालू जी जाति गुर्जर	216/1/min 2 योग ..	0.240 0.240	0.240 0.240
43	बालुसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी मजरा भीलखेडी भूमि स्वामी.	198/12 154/5/मिन-1 197/1/मिन-2 187/8 187/7/min 1 171/4/मिन-1 योग ..	0.031 0.195 0.317 1.045 0.134 0.104 1.826	0.031 0.195 0.317 1.045 0.134 0.104 1.826
44	सीताराम पिता प्रभुलाल मेवाबाई पिता प्रभुलाल शांताबाई वि प्रभुलाल जाति गुर्जर.	134/8 योग ..	0.387 0.387	0.387 0.387
45	सिधु मानसिंह शंकर पिता शोभाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	219/4 योग ..	0.084 0.084	0.084 0.084
46	रामचंद्र पिता बापुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	382/3/2 योग ..	0.262 0.262	0.262 0.262
47	अमरसिंह पिता बापुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	382/3/1 योग ..	0.261 0.261	0.261 0.261
48	सीताराम पिता रतनलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी 101/4/min 2 ग्राम ढाबला सोनगरा भूमि स्वामी.	101/4/min 2 योग ..	0.209 0.209	0.209 0.209
49	बाबूलाल पिता गंगाराम जाति ढोली पता निवासी ग्राम ढाबला सोनगरा भूमि स्वामी.	175/11/min 1 175/13	0.366 0.345	0.366 0.345
50	कालुराम पिता छिता जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2 योग .. योग ..	0.449 0.449 30.074	0.449 0.449 27.861

अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक-30-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8538

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2021

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : समनापुर
 4. पट.ह.नं.- : 121
 5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 0.668 है।

सं. क्र.	कृषकों का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का रकवा			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तुलसीराम पिता लक्ष्मीनारायण निवासी सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/1	0.060	0.015	0.000	0.000	निरंक
2	संतोषकुमार पिता लक्ष्मीनारायण पता समनापुर सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/2	0.080	0.025	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	246	0.810	0.050	0.000	0.000	निरंक
3	जगदीश पिता कृपाशंकर पता सा.देह. भू-स्वामी	भूमिस्वामी	241	0.030	0.000	0.022	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	228/1	0.250	0.000	0.030	0.000	निरंक
4	हरिओम पिता लक्ष्मीनारायण साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245	0.810	0.072	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	233	0.100	0.000	0.019	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	228/2	0.110	0.000	0.030	0.000	निरंक
5	सुमतकुमार पिता कृपाशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	228/3	0.250	0.000	0.030	0.000	निरंक
7	सत्यनारायण पिता द्वारका प्रसाद साकिन समनापुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	227/1	0.120	0.017	0.000	0.000	निरंक
8	परमानंद पिता द्वारकाप्रसाद साकिन समनापुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	227/2	0.120	0.017	0.000	0.000	निरंक
9	लक्ष्मन पिता बलराम राठोर साकिन समनापुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	265/1	0.390	0.010	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	268/1	0.580	0.046	0.000	0.000	निरंक

10	कमल पुत्र बलराम साकिन समनापुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	265/2	0.390	0.100	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	268/2	0.580	0.046	0.000	0.000	निरंक
11	रवि पुत्र बलराम साकिन समनापुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/3	0.590	0.046	0.000	0.000	निरंक
12	उमेश पिता बलराम साकिन समनापुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/4	0.590	0.047	0.000	0.000	निरंक
13	दामोदर वल्द फूलसींग मल्ली, गोरा पुत्री बब्बी सुदामा पिता मन्जू, शकुनबाई, बबीताबाई पुत्री मन्जू, प्रेम दुलैया बेवा मन्जू पता सा.देह भू-स्वामी	भूमिस्वामी	269/1	2.120	0.016	0.000	0.000	निरंक
14	दामोदर वल्द फूलसींग मल्ली, गोरा पुत्री बब्बी सुदामा पिता मन्जू, शकुनबाई, बबीताबाई पुत्री मन्जू, प्रेम दुलैया बेवा मन्जू बलराम पिता छल्ले पता सा.देह भू-स्वामी	भूमिस्वामी	305	1.380	0.030	0.000	0.000	निरंक
	योग:-		19	9.360	0.537	0.131	0.000	

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन रकीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
 - 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के रखानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
 - 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
 - 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-
- 1— सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

- 2— वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3— भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4— पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5— राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6— उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7— यथोचित पंचायत घर
- 8— जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9— स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10— प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11— शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13— दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपरचारथ्य केन्द्र
- 14— भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15— बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16— प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17— प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18— व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19— मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिरक्षण के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/10/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।)

क्रमांक-19-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-8702

सागर, दिनांक 3 सितम्बर 2021

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत ढूब क्षेत्र निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रमुख अधियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 24-3/पर्यावरण/2018, भोपाल, दिनांक 22/2/18 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 50 1533 दिनांक 14/9/2016 के तहत सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए Environment Impact Assessment (EIA) अपेक्षित है इसमें Social Impact Assessment एक आवश्यक घटक है इसलिए सिंचाई परियोजनों में Social Impact Assessment की अलग रो कोई आवश्यकता नहीं है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन आपेक्षित है, वहां इस अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:

(1) परियोजना का नाम	हिलगन जलाशय ढूब क्षेत्र
(2) भूमि का विवरण	
1. जिला	सागर
2. तहसील	रामगढ़
3. ग्राम	बेलई भाफी
4. पट.ह.नं.-	111
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.594 है।

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	रचागित्व का प्रकार	खराका क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टेर में	अर्जित भूमि (रकवा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	यशोदाबाई पठ्ठि अगोलसर्हिं दांगी राकिण हिलगन प्रभावाई वैवा हीरासिंह जीरन्द रामरेन्द्र पिता हीरासिंह रातेन्द्र नाबालिंग वल्ड हीरासिंह वली माँ प्रभावाई निवारी ग्राम हिलगन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	133/2	0.960	0.074	कृषि भूमि
2		भूमिस्वामी	8/3	0.520	0.520	कृषि भूमि
	योग:-		02	1.480	0.594	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एक 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका गद्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्गकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर भूमिका अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी जल संसाधन संभाग करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8) 2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका गद्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम

की दण्डनीय व्यक्ति धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संचयवाहा नहीं करेगा या कोई भी संचयवाहा नहीं होने देगा। अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंबणम् सूजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे। अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 37-अ 82-2020-21-9401

बैतूल, दिनांक 13 सितम्बर 2021

चूंके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकमा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	पाढ़खुर्द	96.948	गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकमा (हेठो में)	कुल अर्जित रकमा (हेठो में)
1	2	3	4	5
1	बब्लु वल्द रामचरण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/1	0.308	0.308
		2/2	0.340	0.340
		2/5	0.877	0.049
2	परसराम वल्द तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/1	0.418	0.418
		17/1	0.802	0.802
3	बरजोर वल्द भोला गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/2	0.809	0.729
4	कुन्दन वल्द तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/3	0.418	0.418
		17/3	0.721	0.721
5	केसरी वल्द तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/4	0.419	0.419
		17/4	0.720	0.603

6	अनन्तराम व. बरजोर गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/5	0.643	0.361
		57	0.012	0.012
		58/2	0.697	0.697
		63	0.878	0.202
7	सूरतराम व. बरजोर गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/6	0.320	0.060
		58/5	0.697	0.697
8	मिन्तर व. रामप्रसाद गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/1	0.500	0.500
		65/1	0.128	0.116
		5/4	0.747	0.674
9	इन्दल व. रामप्रसाद गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/2	0.500	0.500
		65/3	0.128	0.128
		5/1	0.747	0.730
10	किन्तर व. रामप्रसाद, गौरी पति बाला गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/3	0.080	0.080
11	सुदामा व. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	7/1	1.400	1.125
		9/1	1.357	1.357
12	किसन व. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	7/2	1.315	1.016
		9/2	1.113	1.113
13	हंसराज व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/1	1.041	1.041
		47	0.065	0.035
		61/6	0.207	0.207
14	दीपक व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/2	1.041	0.482
		61/5	0.208	0.208
15	शिवराम व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/3	1.042	0.292
		17/14	0.594	0.267
16	राजकुमार व. तुलसीराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	13/1	0.398	0.21
		14/1	0.607	0.049
17	गणेश उर्फ अभय व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16	2.586	0.049
		66/8	0.405	0.101
18	हरी. व. तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	17/5	0.699	0.065
		17/11	0.602	0.468
19	नन्दन व. तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	17/9	0.256	0.178
		17/12	0.186	0.186
20	नकुल व. तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	17/10	0.512	0.242
		61/3	0.791	0.791
21	सुरतलाल व. पाण्डू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	18/1	1.805	0.965
		19	1.356	1.356
		21/4	4.248	4.248
22	श्यामवती बे. रामनाथ मनीराम सन्तोष व. रामनाथ गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	18/2	0.445	0.218
		21/7	0.420	0.420
		21/8	0.597	0.597

23	जगन्नाथ व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	18/3	0.445	0.179
24	रामपाल व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	21/9	0.850	0.850
25	खुशीलाल व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	18/4	0.445	0.183
		21/5	0.708	0.708
26	रघुनाथ व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	18/5	0.445	0.267
		22	0.255	0.255
27	कालू उर्फ सूखदेव व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	18/6	0.445	0.345
		21/1	0.240	0.240
		21/6	0.777	0.777
28	गरीव्या व. रेवाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	21/2	0.910	0.910
		21/3	0.202	0.202
29	भूता व. साह बलाल, कमलाबाई बे. रामाधार अर्जुन मनोज व. रामधार सुनिता मीना पिता रामाधार गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	23	0.731	0.731
		38	2.699	2.699
		39/2	0.486	0.486
30	हीरालाल व. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	24/1	0.401	0.401
		28	0.336	0.336
		29/1	0.166	0.166
31	गणेश व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	24/2	0.401	0.401
		29/2	0.166	0.166
32	ललित व0 हीरालाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	24/3	0.321	0.321
33	बुद्ध व0 सुखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	24/4	0.080	0.080
34	सुन्दरलाल व. मौजी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	25	0.802	0.802
		26	0.821	0.821
		27	0.421	0.421
		30	0.563	0.563
		39/4	0.454	0.454
35	जुगराम व. पूरन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	32	0.567	0.567
		40/5	1.073	1.073
36	अमरदास व. बिहारी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	34/1	1.624	1.624
		138	0.283	0.283
		139/1	1.019	0.918
37	लखन व. बिहारी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	34/2	2.275	2.275
		139/2	1.02	0.64
		167	0.129	0.129
38	रोहित व. हीरालाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	34/3	0.650	0.650
39	बिसन व. सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	39/1	0.253	0.253
40	नाथराम व. मौजी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	39/3	0.747	0.747
		136/2	0.064	0.021

41	सन्तोष व. सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	39/5 136/1	0.252 0.063	0.252 0.021
42	हुक्मा व. सुखराम गौले निवासी ग्राम भूमिस्वामी	39/6	0.252	0.252
43	पूरन व. सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	40/1	0.814	0.814
44	तुलाराम व. सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	40/2	0.291	0.291
45	सरस्वती पल्लि नाथराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	40/3	0.291	0.291
46	गोलमन व पूरन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	40/4	0.264	0.264
		46/3	1.119	1.119
		54/2	1.214	0.611
47	लक्ष्मीचन्द व. पूरन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	40/6	0.830	0.83
		46/1	1.119	1.119
48	भगोती पि. रेवाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	44/1	0.707	0.707
		44/2	1.723	1.723
49	रामदीन व. गरीव्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	44/3	3.782	3.782
		54/3	0.336	0.287
50	इमला बे. नारायण सतीष, संदीप व. नारायण सुमन पुत्री नारायण मेहरानिवासी ग्राम भूमिस्वामी	46/2	2.238	2.238
		163/1	3.088	0.607
		164	0.336	0.089
51	मानक व. मंगल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	48/1	0.042	0.012
52	ललिता बे. ननकू मोहन गुलसो रेखा विमल पुत्री ननकू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	48/2	0.043	0.012
53	कोरकूलाल व. बुद्ध गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	49	0.063	0.012
		71	1.376	0.282
		135	0.186	0.021
54	रामदीन व. सखाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	54/1	0.004	0.004
55	तुलसीराम व. मनोहर गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	58/1	1.132	1.132
		58/4	0.404	0.404
56	चिरोंजी व. रामचरण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	58/3	0.478	0.478
		65/2	0.634	0.634
57	किशोरी व. बिहारी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59	0.279	0.279
		61/2	0.750	0.750
58	नन्दन व. तेजीलाल गौली. निवासी ग्राम भूमिस्वामी	61/1	0.790	0.790
59	शिवराम व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	61/4	0.207	0.207
60	प्रहलाद व. बाबूलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66/1	3.845	0.121
61	रामदास व. गौरेलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66/6	0.707	0.372
62	परसराम व. बाबूलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66/7	0.303	0.303
63	परभू व. कुंवरलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66/13	1.619	0.037
64	कैलाश व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66/14	1.429	0.768

65	नितेश ना.बा.नानकराम वली मां द्वारका गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	69	1.400	0.057
66	कमला बे. रामाधार अर्जुन मनोज व. रामाधार सुनिता मीना वि. रामाधार गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	75/2	2.184	0.093
67	कल्लोबाई बेवा बालक सुभाष व. बालक गीता सुनिता सुशीला कल्पना, अनुसुईया पिता बालक मानक व. मंगल, प्रभुदयाल सुरेश व. सालक, कौशल्या, बिंदिया पिता सालक, ललिता बे. ननकू गुलसो, रेखा, विमला पिता ननकू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	77/5	0.588	0.069
68	सुन्दरलाल व. मौजी गौलीनिवासी ग्राम भूमिस्वामी	136/3	0.063	0.021
69	गुजों पति मुनी गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	137	0.170	0.025
70	सुखनन्दन व. सुखलाल गौली बैतूलनिवासी ग्राम भूमिस्वामी	140/1	0.172	0.037
71	मनू व. सूरतलाल गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	140/2	0.172	0.062
72	हीरा पि. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	145/3	0.196	0.089
73	बिहारी व. पाण्डू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	171/1	2.553	2.553
74	गंगा पति बलवन्त कुच्ची निवासी ग्राम भूमिस्वामी	171/2	1.619	1.619
75	किर्ल व. लक्ष्मण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	172/1	2.102	2.102
76	लालमन व. लक्ष्मण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	172/2	2.103	2.103
77	पप्पु व ओझा यादव निवासी ग्राम भूमिस्वामी	166/1/2	0.202	0.049
		166/3	0.405	0.198
78	संतोष व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	166/2	1.669	0.454
		177/4	0.610	0.481
79	रामप्यारी बे. रामरतन शंकर भागवत संतोष बबलू उर्फ बलराम मधु पि. रामरतन मुखमनी धन्नाबाई गुदाबाई पि. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	177/1	2.022	0.890
80	गोंडू व. बिरज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/1	0.216	0.216
		183/2	0.729	0.729
81	मीरा पति गोंडू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/3	0.946	0.946
82	कौतिका पति रघुनाथराव मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/4	0.946	0.946
83	नाथूराम रघुनाथ नारायण व. बिरज, रेनु पि. बिरज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/5	0.946	0.946
84	आशीषसिंह व. भगवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/6	0.946	0.946
85	रघुनाथ व. बिरज मेहरा बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/7	0.946	0.946
86	कसिया बे. पांडू यादोराब व. पांडू देवकी सुशीला सयाबाई पि. पांडू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	183/8	0.946	0.946
87	शंकर व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	177/2	1.216	1.216
88	भगवत व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	177/3	1.216	0.544

89	बल्लू व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	177/6	0.550	0.421
		177/7	0.387	0.387
90	मधु व रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	177/8	0.049	0.049
		177/9	0.722	0.722
91	किसनी पति परसराम तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	174	0.085	0.085
		177/10	0.279	0.279
		177/11	0.396	0.396
		177/12	0.049	0.049
92	सुयश व. अशोक मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/1	0.802	0.138
93	अशोक व. बोंदरु मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/2	3.219	1.908
94	रोन्या व. नान्हू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/3	0.183	0.183
95	रामाधार व रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/4	0.243	0.243
		51/8	0.183	0.183
96	जेटू व. रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/6	0.267	0.267
		51/13	0.183	0.183
97	लक्ष्मण व रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/7	0.243	0.243
		51/9	0.183	0.183
98	पूनी पि. रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/11	0.183	0.037
ग्राम का कुल योग :-		170	129.978	96.948

(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 38 अ 82-2020-21-9402

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हें में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	हिवरखेडी	199.042	गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हें.में)	कुल अर्जित रकबा (हें.में)
1	2	3	4	5
1	गणेश कृष्ण बलदेव व. आनन्दराव शान्ता वे. आनन्दराव राधा माला उर्मिलारेखा लीला शीला रेणूका पुत्री आनन्दराव कुन्बी सा. देह भूमि.	91/1	2.619	0.769
2	बलदेव व. आनन्दराव, शाला पत्नि आनन्दराव कुन्बी सा. देह भूमि	91/2	3.237	0.202
		96	2.707	2.36
3	बल्लू , कल्ली, मुन्नी चुन्नी मुन्ना व. डोंगरु मैलो रमलो पुत्री डोंगरु गोड सा. देह भूमि	97/1	0.809	0.162
4	कल्ली व. डोंगरु गोड सा. देह भूमि	97/2	1.182	0.282

—२—

5	मुन्ना व. डोंगरु गोड़ सा. देह भूमि	97/3	1.181	0.938
6	बल्लु पि. डोंगरु गोड़ सा. देह भूमि	97/4	1.182	1.15
7	चुन्नी व. डोंगरु गोड़ सा. देह भूमि	97/5	1.182	1.133
8	मन्ना व. डोंगरु गोड़ सा. देह भूमि	97/6	1.182	1.182
9	दुर्गादास व. गणेशरावकुन्ची सा. देह भूमि	98/1	1.922	1.922
10	कृष्णा पि. आनन्दराव कुन्ची सा. देह भूमि	98/2	3.507	3.507
11	योगेश व. गणेशराव कुन्ची सा. देह भूमि	98/3	1.922	1.922
12	गणेशराव व. आनन्दराव कुन्ची सा. बैतूल भूमि	98/4	1.583	1.583
13	कपिल नाबा. व. कृष्णा संरक्षक कृष्णा व. आनन्दराव कुन्ची सा. बैतूल	98/5	1.92	1.92
14	किरण पति मुकेशकुमार बनिया सा. बैतूल भूमि	100	5.97	5.97
15	कमलेश व. नथू तेली सा. बैतूल भूमि	104/2	1.659	0.324
16	किरणबाई पत्नि कमलेश तेली सा. बैतूल भूमि	104/5	0.364	0.122
		104/8	0.162	0.041
17	नारायण पि. निर्मल राजपूत सा. बैतूल भूमि	104/7	0.488	0.113
18	अमरसिंह व पूरन गोड़ सा. बैतूल भूमि	110	3.635	3.45
19	साहबराव व. सरजेराव कुन्ची सा. गढा भूमि	111/1	0.101	0.101
		113/1	0.97	0.97
20	संजय चन्द्रकिशोर व. ज्ञानराव कुन्ची सा. गढा भूमि	111/2	0.304	0.304
		113/2	0.969	0.969
		113//3	1.938	1.938
21	दौलतराव व. सरजेराव संजय व. ज्ञानराव कुन्ची सा. गढा भूमि	112	2.007	2.007
22	कान्तिबाई पत्नि विजय कुमार बनिया सा. बैतूल भूमि	114	5.852	5.852
23	अवतारसिंह व. गुणवंतसिंह राजपूत सा. बैतूल भूमि	116	0.433	0.433
24	विमलाबाई पत्नि दीनू गोली सा. बैतूल भूमि	118/1	1.619	1.619
25	सुन्दरलाल व. मूरतलाल गोली सा. बैतूल भमि	118//2	0.667	0.49
		163/16	0.194	0.194
26	लक्ष्मण व. मूरतलाल गोली सा. बैतूल भमि	118/4	0.842	0.122
		163/2	0.374	0.374
27	नीलसिंह व. शेरसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/1	0.692	0.57
28	यशवंत सिंह व. गजराजसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/2	0.579	0.579

29	कृष्णसिंह व. गेंदसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/3	1.24	1.24
30	बलरामसिंह व चंवलसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/4	0.829	0.829
31	कोमलसिंह व. नेपालसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/5	1.262	1.262
32	विद्या पत्नि विष्णु राजपूत सा. बैतूल	121/6	1.578	1.578
33	विकमसिंह व0 सुदामासिंह सा. बैतूल	121/7	1.239	1.239
34	अशोकसिंह व शेरसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/8	0.691	0.138
35	करनसिंह व. शेरसिंह राजपूत सा. बैतूल	121/9	0.692	0.202
36	सज्जनसिंह पिता घनश्यामसिंह राजपूत सा. देह	121/10	0.404	0.024
37	दुर्गासिंह धर्मेन्द्र रमेश व. नन्हू शांति मनीषा सत्तवंती पिता नन्हू सुम्माबाई बे. नन्हू गोंड सा. बैतूल	122	0.425	0.32
38	प्रदीप कुमार व. हरिशंकर घनिया सा. बैतूल	123	2.112	2.072
39	भिक्कुलाल व जोल्ली गोंड सा. देह	125/1	1.498	0.243
40	सददू व. जोल्ली गोंड सा. देह	125/2	1.497	1.497
41	ढीमू बे. बुद्धुलाल किशोरी व. बुहुलाल लता शिवकली कौशी पुत्री बुद्धुलाल गोंड सा. देह	125/3	1.498	1.477
42	गजराजसिंह उर्फ दरबारसिंह व. उदराससिंह राजपूत सा. बैतूल	108/1	2.394	0.041
		126/1	1.261	0.161
		135/1	0.417	0.101
43	दप्पु मिलाप व. बिलसू गोंड सा बैतूल	128	0.388	0.388
		130	0.595	0.025
44	भरतसिंह व. ज्ञानसिंह राजपूत सा. बैतूल	129/1	4.468	1.942
		108/2	1.396	0.081
45	रायसिंह गंजन व. नन्हेसिंह बाबूराव बुदलसा व. रामसू पांडो सूकदो पुत्री रामसू फुन्दो बेवा रामसू गायकी सा. देह	132/1	0.767	0.121
46	बुद्ध व. उदयसिंग दस्सु नजरु शिवचरण द. सरप संतो बिस्सो पिता सरप रुकको बे. दसरु कला मुन्नी रानो द. दसरु कलसिया बे. दसन गणेश व. दसन रेखा मीना गीता पुत्री दसन गायकी सा. बैतूल	132/3	1	0.409
47	कमला पति दामू गोंड सा. बैतूल	132/5	0.161	0.161
48	कमलाबाई पति जम्फारसिंह राजपूत सा. बैतूल भूमि	135/2	0.405	0.302

49	अशोक पिता केशव ब्राह्मण, राजू पिता रामाजी किराड सा. बैतूल	163/1	0.556	0.556
50	शत्रुघ्न व. परसराम गौली सा. बैतूल	163/3	0.121	0.121
		163/9	0.182	0.182
51	गणेशराव व शंकर कुन्ची सा. बैतूल	163/4	0.405	0.405
		163/7	0.556	0.556
52	सुकिया बे. नाथूराम नाई सा. बैतूल	163/5	0.449	0.449
53	राजू व. परसराम गौली सा. बैतूल	163/6	0.141	0.141
		163/8	0.202	0.202
54	कुवंरलाल व परसराम गौली सा. बैतूल	163/10	0.363	0.363
55	ज्योति, अनिता पुत्री कुंदन सुककाबाई बे. कुन्दन, कमलेश व. कुन्दन सा. देह	163/11	0.206	0.206
		163/12	0.08	0.08
56	चन्दन व. परसराम गौली सा. बैतूल	163/13	0.183	0.183
		163/14	0.14	0.14
57	रीता पति महेश नाई सा. बैतूल	163/15	0.405	0.405
58	गोलमन व. शोभाराम गौली सा. बैतूल	167/3	0.68	0.68
		167/4	0.51	0.51
		167/5	0.388	0.388
		168/1	0.291	0.291
		168/2	0.567	0.567
		170/1	0.243	0.243
		170/2	0.983	0.983
59	मेनसिंह दीपकसिंह सुनिलसिंह व. गर्जनसिंह अनिता पुत्री गर्जनसिंह राजरती बे. गर्जनसिंह नान्ही पुत्री उदराससिंह राजपूत सा. बैतूल	172/1	0.717	0.717
60	भगवान केदार व. बलवंत प्रभीला उर्मिला निर्मला कला चंद्रा आशा पिता बलवंत बफूला बे. बलवंत राजपूत सा. बैतूल	172/2	0.768	0.768
61	कुबेरसिंह व. उदेसिंह राजपूत सा. बैतूल	174/1	1.059	1.059
		174/6	0.65	0.65
		175/1	0.408	0.408
		175/4	0.408	0.408
62	शकुन पति विद्वान राजपूत सा. बैतूल	174/2	1.619	1.619
63	विद्वानसिंह व. हरेसिंह राजपूत सा. देह	174/3	0.809	0.809
64	इन्द्राबाई पिता लिखीराम कलार सा. बैतूल	174/4	0.91	0.91
		174/8	0.222	0.222
65	बल्लु पिता. कुंजीलाल कलार सा. बैतूल	174/5	1.093	1.093
		175/3	0.04	0.04

-5-

66	दिलीपसिंह व. केन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	174/7	0.81	0.81
67	रोहित पि. केन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	174/9	0.809	0.809
68	केवटसिंह व. केन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	174/10	0.809	0.809
69	विजय व0 कुबेरसिंह राजपूत सा. बैतूल	175/2	0.55	0.55
70	कृष्णसिंह व. विसरसिंह राजपूत सा. बैतूल	175/5	0.405	0.405
71	शैलेन्द्र व. कुबेरसिंह राजपूत सा. बैतूल	175/6	0.55	0.55
72	भारतसिंह चरणसिंह उर्फ परनसिंह, मोहनसिंह, सोहनसिंह व0 किशोरसिंह, विवेकसिंह विनयसिंह व. दशरथ, सरोजबाई रेखाबाई वि. दशरथ मुन्नी शिवकली, क्षमा पिता किशोरसिंह कला, चन्द्रा, आशा पुत्री बलवन्त, बफूला बेवा बलवंत राजपूत सा. बैतूल	176/1	0.142	0.142
73	मोहनसिंह व. किशोरसिंह राजपूत सा. बैतूल	176/3	0.91	0.91
74	किरणबाई पल्लि भारतसिंह राजपूत सा. बैतूल	176/4	0.809	0.809
75	सोहनसिंह व. किशोरसिंह राजपूत सा. बैतूल	176/5	0.91	0.91
		176/6	0.3	0.3
76	विवेकसिंह, विनयसिंह व. दशरथ सरोजबाई रेखाबाई, वन्दना बाई पिता दशरथ राजपूत सा. बैतूल	176/7	0.029	0.029
77	देवेन्द्रसिंह व. बलसिंह राजपूत सा. बैतूल	179/1	0.024	0.024
78	विरेन्द्रसिंह व. बलसिंह राजपूत सा. बैतूल	179/2	0.025	0.025
79	भगवान केदार व. बलवंत प्रभीला उर्मिला निर्मिला कला चंद्रा आशा पिता बलवंत बफूला बे. बलवंत राजपूत सा. बैतूल	180/1	2.068	2.068
		181/1	0.3	0.3
80	भगवानसिंह व. बलवंतसिंह राजपूत पता बैतूल	180/2	2.428	2.428
81	उज्जैनसिंह व. ईश्वरसिंह पारा बे. ईश्वरसिंह राजपूत सा. बैतूल	180/3	2.064	2.064
		181/2	1.961	1.961
82	गब्बरसिंह व धीरसिंह उर्मिला पि. धीरसिंह राजपूत सा. बैतूल	181/3	0.81	0.81
83	दीपकसिंह व. धीरसिंह राजपूत सा. बैतूल	181/4	0.83	0.83
84	गयासिंह व शिवदूसिंह राजपूत सा. बैतूल	182/1	0.958	0.958
85	कनेरसिंह व गयासिंह राजपूत सा. बैतूल	182/2	0.87	0.87
86	रमेशसिंह व. गयासिंह राजपूत सा. बैतूल	182/3	0.952	0.952
87	जितेन्द्रसिंह व. गयासिंह राजपूत सा. बैतूल	182/4	0.87	0.87
88	सुग्रीवसिंह व. गयासिंह राजपूत सा. बैतूल	182/5	0.87	0.87
89	कमलसिंह व. गयासिंह राजपूत सा. बैतूल	182/6	0.87	0.87
90	कारु व. सुमेरगिर गोसाई सा. बैतूल	183	2.509	2.509
91	धीरसिंह व. बलवंतसिंह राजपूत सा. बैतूल	184	1.315	1.315

—६—

92	परमिलाबाई पति निहाल राजपूत सा. बैतूल	186	1.214	1.214
93	चरणसिंह व. कमल राजपूत सा. बैतूल	187/1	0.36	0.36
		187/2	0.405	0.405
		188/4	0.623	0.623
94	किशोरसिंह व. गजराजसिंह राजपूत सा. बैतूल	188/1	2.248	2.248
95	निर्भयसिंह व. जसवंतसिंह राजपूत सा. बैतूल	188/2	1.618	1.618
		188/3	0.202	0.202
96	रानू बे. विरेन्द्रसिंह कृशा ना.बा. पुत्री विरेन्द्रसिंह वली मां रानू राजपूत सा. बैतूल	188/5	0.678	0.678
		190/1	1.068	1.068
97	दिलीपसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	188/6	0.677	0.677
		190/2	1.068	1.068
98	सिद्धार्थ व. राजेन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	191/1	1.068	1.068
99	कुमकली बे. गंजन राजपूत सा. बैतूल	191/2	0.259	0.259
100	चन्द्रविनोद व. गंजनसिंह राजपूत सा. बैतूल	191/3	0.809	0.809
		194	0.287	0.287
101	दिलीपसिंह व. जगतसिंह राजपूत सा. बैतूल	192/1	1.719	1.719
102	कर्मसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह व. गोविन्दसिंह राजपूत सा. बैतूल	192/2	0.84	0.84
103	जगतसिंह व गोदूसिंह राजपूत सा. बैतूल	192/3	1.719	1.719
104	ओझेबाई बे. साहबू मिठ्ठूलाल रमेश सुरेश व. साहबू सुम्मेबाई फूलमा शिवकली झूलमाबाई पुत्री साहबू गोड सा. देह	193	0.393	0.393
		233	1.242	1.242
		238	0.526	0.526
105	भारतसिंह व. किशोरसिंह राजपूत सा. बैतूल	195/1	1.68	1.68
		195/2	0.809	0.809
106	सुरेन्द्रसिंह व. चंचलसिंह राजपूत सा. बैतूल	196/1	2.023	2.023
107	प्रतिभा पति धर्मेन्द्र, लक्कीसिंह, ना.बा. पिता धर्मेन्द्र संरक्षक पिता धर्मेन्द्र राजपूत सा. बैतूल	196/2	1.537	1.537
		198	0.267	0.267
108	महेन्द्रसिंह उर्फ महेशसिंह व. बद्रीसिंह उर्मिला बे. बद्रीसिंह राजपूत सा. बैतूल	196/3	3.337	1.92
		231/3	1.214	1.014
109	फतरी बे. जालमसिंह राजपूत सा. बैतूल	196/4	1.133	1.133
110	जगदीश व चंचलसिंह राजपूत सा. बैतूल	196/5	0.405	0.405
		196/8	0.439	0.439
		213/2	1.23	1.062
111	रीना बे. उज्जैनसिंह भानूप्रताप ना.बा. व. उज्जैनसिंह संरक्षक मां रीना, सुप्रिया ना.बा. पुत्री उज्जैनसिंह वली मां रीना राजपूत सा. बैतूल	196/6	0.44	0.44
		231/1	1.23	1.23
112	सुधीरसिंह व. चचलसिंह राजपूत सा. बैतूल	196/7	0.439	0.439
		282/2	1.619	0.202

113	नरेन्द्रसिंह विरेन्द्रसिंह भूपेन्द्रसिंह चन्द्रविनोद जितेन्द्रसिंह व. गंजनसिंह लक्ष्मीपुत्री गंजनसिंह रामकली बे. गंजनसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/1	0.858	0.858
114	कम्मा पत्नि इन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/2	0.2	0.2
115	अनोपसिंह व. हरेसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/3	0.419	0.419
116	कृष्णासिंह व. इन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/4	0.709	0.709
117	सतीष सिंह व इन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/5	0.709	0.709
118	संजयसिंह व अनोपसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/6	0.6	0.6
119	युवराज व अनोपसिंह राजपूत सा. बैतूल	200/7	0.6	0.6
120	तिलकसिंह व. सरदारसिंह राजपूत सा. बैतूल	202 206/3	0.121 1.569	0.121 0.409
121	हीरासिंह व. जालमसिंह अनिताबाई राजकुमारी पुत्री जालमसिंह राजपूत सा. बैतूल	203/1	0.705	0.705
122	तानसिंह व. जालमसिंह सुरजबाई, अन्जनीबाई, पुत्री जालमसिंह राजपूत सा. बैतूल	203/2	0.706	0.706
123	गोदासिंह उर्फ कमल व. अजबसिंह गोड़ सा. बैतूल	204/1	0.133	0.133
124	जगगु व. दल्ला गोड़ सा. देह	204/2	0.352	0.182
125	जगदीश व. दल्ला गोड़ सा. देह	204/3	0.353	0.353
126	चिन्टू व. दल्ला गोड़ सा. देह	204/4	0.353	0.353
127	पपुसिंग उर्फ विमल व. अजबसिंह गोड़ सा. देह	204/5	0.133	0.133
128	धरमू उर्फ धर्मेन्द्र व. अजबसिंग गोड़ सा. देह	204/6	0.132	0.132
129	मलिया पिता अजबसिंह गोड़ सा. देह	204/7	0.132	0.132
130	कमला पुत्री अजबसिंग गोड़ सा देह	204/8	0.132	0.132
131	कलसिया पुत्री अजबसिंग गोड़ सा. बैतूल	204/9	0.132	0.132
132	तुलसिया पुत्री अजबसिंग गोड़ सा. बैतूल	204/10	0.132	0.132
133	भिमला पुत्री अजबसिंग गोड़ सा. बैतूल	204/11	0.132	0.132
134	हेमसिंह व. सरदारसिंह राजपूत सा. बैतूल	206/1	3.391	3.084
135	धन्नजय व. भीमसिंह राजपूत सा. बैतूल	206/2	1.932	1.276
136	भीमसिंह व. सरदारसिंह राजपूत सा. बैतूल	206/4 207	1.569 0.057	0.507 0.057
137	पनराज व. सरदारसिंह राजपूत सा. देह	206/5	1.766	1.094
138	कुन्ती पत्नि पनराज राजपूत सा. देह	206/6	1.619	0.964
139	कल्लुसिंह व. दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल	228/1	0.771	0.771
140	मल्लुसिंह व. दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल	228/2 229/1	0.28 0.491	0.28 0.289
141	लालसिंह व. दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल	228/3 229/2	0.106 0.665	0.106 0.576

142	भीमसिंह व. गोद्धूसिंह राजपूत सा. बैतूल	234/1	2.445	0.021
		234/3	2.328	1.328
143	रामसिंह व जगतसिंह राजपूत सा. बैतूल	234/2	2.328	2.328
144	लेखसिंह परनसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	235/1	0.198	0.105
145	लेखसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	235/2	0.769	0.461
		237	0.963	0.963
146	लेखसिंह, परनसिंह व. प्रतापसिंह रानू बेवा विरेन्द्रसिंह कृशा ना.बा. वि. विरेन्द्रसिंह वली मां रानू राजपूत सा. बैतूल	236/1	0.81	0.81
147	परनसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	236/2	1.82	1.02
148	केन्द्रसिंह व. गोविन्दसिंह राजपूत सा. बैतूल	244/5	0.171	0.041
149	गम्भीरसिंह व. गजराजसिंह राजपूत सा. बैतूल	240/1 240/2	2.63	2.445
150	छोटे उर्फ शिवकिशोर व. राधे केगई उर्फ लक्ष्मीबाई मुन्नी उर्फ द्रोपती छोटी उर्फ सीमा पुत्री राधे काली बे. राधसे मेहरा सा. बैतूल	250/1	0.664	0.5
151	शान्ता पत्नि कनेरसिंह राजपूत सा. बैतूल	250/2	0.809	0.101
152	विपती पिता सुखराम मेहरा सा. बैतूल	250/3	0.607	0.607
153	कान्तिबाई पति प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	250/4	0.202	0.202
154	अल्का पति मिथलेशसिंह राजपूत सा. बैतूल	253/3	0.405	0.113
155	कैलाशसिंह व. बरजोरसिंह राजपूत सा. बैतूल	253/2	0.78	0.101
156	अन्ता व. आत्माराम गौली सा. बैतूल	211/1	2.022	1.496
157	दयाराम व. लक्ष्मण गौली सा. देह	211/2	0.405	0.25
158	रामाधार व. सूखमन गौली सा. बैतूल	211/5	0.595	0.368
		212/3	1.186	0.563
159	अमर व सूखमन गौली सा. बैतूल	212/2	1.186	0.82
160	मनोजकुमार व. मधुकरराव बरई सा. बैतूल	213	1.214	0.506
161	रामप्रसाद व. शोभाराम गौली सा. बैतूल	167/1	1.619	1.619
		167/2	0.809	0.809
162	ईश्वरसिंह व. श्याम्भूसिंह राजपूत सा. बैतूल	108/3	0.45	0.202
163	हरिओमसिंह व. बिन्दौरसिंह राजपूत सा. बैतूल	161/5	0.944	0.081
164	घनश्यामसिंह व. शंकरसिंह राजपूत सा. बैतूल	161/6	1.332	1.203
165	अनिलद्व व. घनश्याम राजपूत सा. बैतूल	161/7	0.194	0.113
166	बलदारसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	161/8	0.809	0.405
167	चितवन व. घनश्याम राजपूत सा. बैतूल	161/10	0.194	0.194
168	रामरतन व. नाथूराम नाई सा. बैतूल	162/4	0.405	0.141

169	शिवकली बे. इन्दल राजवन्ती रेखा संगीता शाशि कला यशोदा पुत्री इन्दल नाई सा. बैतूल	162/7	0.35	0.282
170	शिव व. नाथूराम नाई सा. बैतूल	162/11	0.404	0.404
171	नन्दकिशोर व इन्दल नाई सा. बैतूल	162/12	0.202	0.045
172	कृष्णकिशोर व इन्दल नाई सा. बैतूल	162/13	0.202	0.162
173	सूनिल व. इन्दल नाई सा. बैतूल	162/14	0.203	0.203
174	काशी बे. मिश्रीलाल हिरदेराम हरि रघुनाथ सुदामा व. मिश्रीलाल दुलारी पि. मिश्रीलाल गौली सा. बैतूल	210/1	1.795	1.47
175	मुंशीलाल व. साहबू गौली सा. बैतूल	210/2	1.795	1.795
176	सूरेन्द्रसिंह व. बाबूसिंह राजपूत सा. बैतूल	227/1	1.942	0.324
177	कैलाशसिंह व उत्तमसिंह राजपूत सा. बैतूल	227/2	1.214	0.632
178	जीवनसिंह कैलाशसिंह शिवराजसिंह व. उत्तमसिंह गीता भामाबाई, ममता उत्तमसिंह राजपूत सा. बैतूल	227/5	1.214	0.162
179	भीमसिंह व दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल	229/3	0.771	0.771
180	भवानीदास सेवकराम व. किसन गौली सा. बैतूल	241/1	2.732	1.713
181	बलीराम व. लक्ष्मण गौली सा. बैतूल	241/2	1.011	1.011
182	कुरली उर्फ मुरली ब. बली गौली सा. बैतूल	241/3	1.538	1.538
183	निर्भय व. लक्ष्मण गौली सा. बैतूल	241/4	0.809	0.809
184	भीम व. देवरु बदई भूमि स्वामी	246/1	0.393	0.207
185	कैलाश व0 देवरु, ललिता, मंजाबाई पिता देवरु बदई भूमि स्वामी बैतूल	246/2	0.336	0.336
186	धनरूपी पत्नि केन्द्रसिंह राजपूत सा.	246/6	0.365	0.202
		246/7	0.218	0.153
		246/8	0.101	0.101
187	कैलाशसिंह व. निर्मलसिंह राजपूत सा.	104/14	0.47	0.041
188	गयासिंह व. निर्मलसिंह राजपूत सा.	104/15	0.489	0.089
189	सेवन्ती पति बून्दलसा बसंती पति बाबूलाल गायकी सा.	132/6	0.36	0.36
190	मनोहर पिता गोपाल गौली सा. बैतूल	159/3	1.833	1.712
		159/6	0.081	0.081
191	करतारसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल	159/12	0.489	0.302
192	कौशल्या पति रामप्रसाद बदई सा. बैतूल	159/9	0.405	0.405
		159/10	0.607	0.121
193	कौशलबाई पुत्री राधे बदई सा. बैतूल	159/11	0.445	0.299
194	शिवपाल पिता साहबलाल गौली सा. बैतूल	159/15	0.941	0.141
195	मनोज पिता धरमू गौली सा. बैतूल	159/16	0.941	0.243

196	धनराज पिता मनू मेहरा सा. बैतूल	165/1	2.866	2.866
197	बालकराम पिता धनराज मेहरा सा. बैतूल	165/2	1.668	1.668
198	मेनसिंह पिता गर्जनसिंह राजपूत सा. बैतूल	165/4	1.011	0.708
199	सचिन पिता महावीरसिंह राजपूतसा. बैतूल	165/5	0.405	0.264
		165/6	0.809	0.469
200	गव्वरसिंह, अंकितसिंह, सन्तोषसिंह पिता शिखरसिंह, मीनाक्षी पिता शिखरसिंह राजपूत सा. बैतूल	231/4	1.056	0.44
201	अजय पिता यशवंतसिंह राजपूत सा. भुमि स्वामी	121/1	1	1
202	इश्वरसिंह व. श्यामूसिंह सा. भुमि स्वामी	108/3	0.45	0.45
	ग्राम का कुल योग:-	259	251.280	199.042

(2) चूंकि गढ़ा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 40-अ 82-2020-21-9399

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	मंडईबुजूर्ग	89.410	गढ़ा मध्यम मध्यम परियोजना

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

संक्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हें.में)	कुल अर्जित रकबा (हें.में)
1	2	3	4	5
1	मल्लु व रेवाराम सुनार सा. कोदारोटी	129/1	2.346	0.372
2	ओमप्रकाश जयप्रकाश व. रामदयाल सुनार सा. कोदारोटी	132/1	0.982	0.982
		133/2	1.761	1.761
3	गुलाब मुसरी गिरधारी होरीलाल व. चैतराम दुलारी वैवा चैतराम सुनार कोदारोटी	132/2	2.982	2.982
4	रामस्वरूप व.. तुलाराम सुनार सा. कोदारोटी	132/3	1.075	1.043
5	भोजराज व. चोखेलाल सुनार सा. कोदारोटी	132/4	0.465	0.097
6	भोलाराम व तुलाराम सुनार सा. कोदारोटी	132/5	0.972	0.097
7	बनवारी व चोखेलाल सुनार सा. कोदारोटी	132/6	0.465	0.364

8	जयप्रकाश ओमप्रकाश आनन्द व.. रामदयाल अल्का वेवा. हरिओम नितिन निकिता ना.बा. हरिओम वली मां अल्का सुनार सा. कोदारोटी	133/1	0.809	0.809
9	शैलेश कुमार व. वेदराम सुनार सा. कोदारोटी	133/3	2.023	2.023
10	नवनीत कुमार व बुधराम सुनार सा. कोदारोटी	133/4	1.514	1.514
		134/1	0.316	0.316
11	अल्का बे. हरिओम नितिन निकिता ना.बा. हरिओम वली मां अल्का कुमार कोदरोटी	133/5	0.607	0.607
		139/1	0.809	0.809
12	बद्री व नर्स गौली कोदारोटी	133/6	0.324	0.324
		134/2	1.052	1.052
13	सुरेन्द्र संतोष व. रामनाथ गौली सा. कोदारोटी	135/1	1.056	1.056
		135/2	1.619	1.619
14	इन्द्रसेन रामसंतोष उर्फ संतोष व. परसराम उर्फ सुखराम सुरलिया सूशीला चि. परसराम उर्फ सुखराम गौली क. कोदारोटी	136	1.765	1.765
15	कलीराम व चैतराम कुन्ही	137/1	0.956	0.956
		138	2.322	2.322
		140/1	0.801	0.801
		141/1	1.377	1.377
		141/3	0.993	0.993
16	रामसंतोष व परसराम उर्फ सुखराम गौली कोदारोटी	137/2	0.809	0.809
17	आनन्द कुमार व. रामदयाल सुनार सा. कोदारोटी	139/2	1.272	1.272
		139/3	0.780	0.780
18	जयदेवी बे. हरिराम कपिल मुकेश व. हरिराम इन्दूमति वि. हरिराम कुन्ही	140/2	2.331	2.185
		141/2	4.117	2.984
19	बाबूलाल व. रेवाराम सुनार सा. कोदारोटी	142/1	0.470	0.012
20	मुकुन्दराम व. विठ्ठलराम कुन्ही सा. देह	147/1	0.648	0.486
		147/2	2.832	1.800
		205/2	0.607	0.317
21	गीतानन्द व. रामदयाल कुन्ही सा. देह	147/3/1	1.659	1.537
		147/4	2.832	0.121
		147/5	2.000	0.574
22	विठ्ठलराम व. किशोरीलाल कुन्ही सा. देह	148	0.607	0.607
		204	2.622	1.684
23	द्वारका वि. रामाधार कुन्ही सा. देह	149	6.094	5.693
		208	0.317	0.309
24	वासुदेव व विठ्ठलराम कुन्ही सा. देह	150/1	1.012	1.012
25	प्रेमनारायण व. रामदयाल कुन्ही सा. देह	150/2	0.021	0.021
		151/2	0.020	0.020

26	उमा पलि रामकिशोर साबू	150/3	1.457	1.457
27	कृष्णा कांति पत्नि नारायण सुनार कोदारोटी	150/4	1.619	1.619
28	दिनेश व. रामदयाल गौली	150/5	1.214	1.214
		151/4	0.496	0.496
29	सूपित व जगदीश गौली	150/6	0.384	0.384
		151/6	0.384	0.384
30	गोकुलप्रसाद व. विठ्ठलराम कुन्बी सा. देह	150/7	1.011	1.011
31	निरंजन धीरज नितिन ना.बा. व.. महेशकुमार वली मां इन्द्रा जोजे महेशकुमार गौली	151/1	1.709	1.709
32	रुकमणी पत्नि नर्मदाप्रसाद गौली	151/3	1.709	1.709
		151/5	0.405	0.405
33	सूरेन्द्र व. अनंतराम सुनार	152/1	3.800	3.800
34	शम्भूदयाल व अनंतराम सुनार	152/2/1	0.647	0.647
35	ब्रजकिशोर व अनंतराम सुनार	152/2/2	0.753	0.753
36	राजेन्द्र व. अनंतराम सुनार	152/2/3	0.930	0.930
37	जितेन्द्र व. अनंतराम सुनार	152/2/4	0.754	0.754
38	उमाशंकर व टूमचंद धोबी सा. देह	155/2	1.012	0.251
39	दीपक व. राजू उर्फ राजेन्द्र	155/3	0.566	0.021
40	लखन वा. रामाधार कुन्बी	157	3.104	0.243
41	हौसीराम व विठ्ठलराम कुन्बी सा. देह	207/2	0.307	0.101
		209/2	1.069	1.069
42	डेबू व मल्लु गोड सा० देह भूमि स्वामी	207/3	0.112	0.049
		209/1	0.696	0.647
43	चिन्त्या व. मौजीलाल गौली सा. देह	213	0.413	0.413
44	उदल व. परसराम सा. देह	214	13.489	7.913
45	रामू व घुड़या कुन्बी सा. देह	285	0.740	0.145
46	जिल्लू व फाटू कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	287/1	1.797	1.173
47	रामू व फाटू कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	287/2	1.797	1.400
48	लालमनू व शिवराज सुनार सा. कोदारोटी	288/1	1.315	1.315
49	लक्ष्मीचंद व शिवराज सुनार सा. कोदारोटी	288/2	0.309	0.309
		288/3	0.820	0.820
		291	0.105	0.105
50	फाटू नोखे व नथू कुन्बी सा. देह	289	0.194	0.194
51	रामरती बे. नौखे आशाराम व. नौखे नाई	290/1	0.404	0.404
52	कमलेश व. हरिचंद धोबी	290/2	0.405	0.405

53	शाला पति नानक माखन देनचन्द्र हरलाल पिता नानक फूलवती पि. नानक मूलिया पत्नि भोम्या अम्मु गिरवर गंगाराम व भोम्या प्रेमकला पि. भोम्या हूकड़यादास दि. भागचंद सूकिया बो भागचंद जसोरी पि. भागचंद	292/1 292/3	0.322 0.906	0.322 0.906
54	सायबू सीरी लंगडू लक्षण मनु व. शंकर मूसिया पि. शंकर लोहार सा० देह भूमि स्वामी	292/2 292/6	1.242 0.457	1.242 0.457
55	रामपाल बसंत व. मुन्नालाल शांति पति मुन्नालाल नाई	292/4	0.279	0.279
56	भीम शिवदयाल दूलीराम उर्फ यशवंत व यकोबा गंगोत्री पुत्री यकोबा चन्द्रकला पत्नि यकोबा नाई	292/5	0.279	0.279
57	चैतराम व मल्लु कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	293/2 293/4	4.217 0.809	1.789 0.340
58	शरद पति मुकल्दराव कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	147/3/2	0.202	0.202
59	दीपक व घनश्याम कुन्बी सा०देह भूमि स्वामी	293/6	0.485	0.021
60	अनंतराम व बारीक गोली सा० देह भूमि स्वामी	294	1.011	0.121
61	मदारी व. माधो कांति फिच्चो वि. माधो मेहरा सा. देह	212/2	0.405	0.405
62	बुधराम व. वात्या फगनी बे. वात्या मेहरा सा. देह	212/1	0.404	0.404
63	रेवाराम व टाटर कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	306/2	1.502	0.089
64	सूरतलाल व. किसनलाल कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	306/3	2.023	0.041
	ग्राम का कुल योग :-	92	120.91	89.410

(2) चूंकि गढा मध्यम जलाशय के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 47-अ 82-2020-21-7953

बैतूल, दिनांक 26 अगस्त 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हेठो में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्रो)	मुलताई	बरखेड	2.549	घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हेठो में	अर्जित रकबा हेठो में
1	2	3	4	5
1	नत्थ्या वा० बुद्धू जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी	781/1	0.368	0.368
2	राजेश वा० अमृतलाल सा० देह भूमि स्वामी	706/3 723/3 732/4 734/5 764/11	0.248 0.029 0.147 0.080 0.062	0.248 0.029 0.147 0.080 0.062
3	भिवजी वा० शंकर सा० देह भूमि स्वामी	625/4	0.480	0.480
4	लखन वा० शंकर सा० देह भूमि स्वामी	625/1 625/3	0.481 0.481	0.481 0.481
5	ममता जौजे शंकर, ललीता बेवा धर्मराज, तरुण, अरुण ना बा वा० धर्मदाज सा० देह भूमि स्वामी	567	0.283	0.173
योग		10	2.659	2.549

(2) चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 27 मई 2021

पत्र क्र. 173-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, ग्राम सुमेदाकला, राजस्व निरीक्षक मण्डल नईगढ़ी, पटवारी हल्का पथरौडाकला, तहसील नईगढ़ी, मऊगंज कटरा मार्ग में ओड़डा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु, इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) नगर/ग्राम—सुमेदाकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.303 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
515/1	0.303
योग . .	<u>0.303</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मऊगंज कटरा मार्ग में ओड़डा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खरगोन, दिनांक 24 जून 2021

क्र. 107-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—दौड़वा
- (घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—3.630 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकमा (हे. में)
(1)	(2)
8/4	0.100
9	0.350
11/2/1	0.155
11/3/3	0.150
13	0.340
27/2	0.090
27/4	0.090
27/5	0.275
30/2	0.275
31/1	0.125
31/2	0.070
34/1/2	0.430
34/1/9	0.030
34/1/12	0.155
34/1/13	0.035
49/850	0.270
52/831	0.200
54/2	0.300
56/1/1	0.090
66/1/1	0.100
योग . .	<u>3.630</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“सतसोई तालाब योजना के नगर कार्य निर्माण हेतु”.	(1) 290/1 290/2 291/3/2	(2) 0.130 0.350 0.235
(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.		योग . . 3.673
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		

क्र. 108-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—बोरगांव
- (घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—3.673 हेक्टेयर.

खसरा न.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
271/3/2	0.175
271/4/1	0.300
271/5	0.285
271/6	0.290
279/1	0.018
279/2/1	0.070
279/2/2	0.130
281/2/1/1	0.175
281/2/2/2	0.210
281/3	0.575
288/1	0.070
288/2	0.055
288/3/1	0.050
288/3/2	0.070
288/4	0.070
288/5	0.215
289/1/2	0.200

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”.
- (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 109-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—पछाया
- (घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—4.245 हेक्टेयर.

खसरा न.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2/2	0.200
2/4/1	0.150
2/7	0.045
2/8	0.145
2/15	0.105
9/1/1/1	0.040
9/1/1/2, 9/1/7	0.140
9/1/2	0.160
10/2/2	0.200
11/1/2	0.260
11/2	0.065

(1)	(2)
14/1	0.260
14/2	0.185
16/4	0.105
16/5	0.255
16/6	0.120
19/1	0.095
19/2	0.080
19/3	0.150
20/1/1	0.060
20/1/2	0.070
20/2/1	0.050
20/2/2	0.055
20/3	0.095
23/2	0.040
24/1	0.290
24/2	0.210
64/1	0.170
161/3/2, 162	0.445
योग . .	<u>4.245</u>

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
- (ख) तहसील—खिरकिया
- (ग) ग्राम—देवपुर
- (घ) अर्जित रकबा—1.33 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
86/1	0.27
86/2	0.01
90/3	0.25
90/6	0.80
योग . .	<u>1.33</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम देवपुर (तहसील खिरकिया जिला हरदा) की निजी कृषि भूमि ढूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

खण्डवा, दिनांक 23 अगस्त 2021

नस्ती क्र. . . .-2020-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0001-अ-82-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति, प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा

- (ख) तहसील—खण्डवा
 (ग) ग्राम—तोरणी
 (घ) अर्जित रकबा—26.511 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.600
2/2	0.400
3	0.300
22/1	1.800
4	0.290
5	0.130
6	0.940
7	0.040
8	0.400
9	0.300
19	1.650
10	0.830
14	0.070
11	0.040
13	1.140
15	0.290
18	0.520
45	0.570
20/1	2.000
20/3	0.87
21	0.130
22/3	1.600
24	1.900
25	1.450
48	0.880
52	0.520
22/2	0.830
26	0.031
43	0.410
44	0.150
58	0.740
59	2.040
205/1	0.020
205/4	0.100
206/2	0.440
207	0.89
20/2	1.200
योग . .	<u>26.511</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता

- है—रोशिया तालाब योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अन्य द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 9 सितम्बर 2021

क्र. 2913-A-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
 (ख) तहसील—मनपुर
 (ग) ग्राम—सलैया, पटवारी हल्का क्र. 33, रा.नि.मं. चिल्हारी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.443 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21/1	0.120
21/2	0.120
22	0.300
26	0.200
27	0.100
23/4	0.010
28/1	0.010
28/2	0.010
28/3	0.120
32/2	0.020
32/4	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
35/1	0.040	6/1	0.250
39	0.060	7	0.320
40/1	0.020	8	0.088
35/2	0.065	10/1क	0.182
41/2	0.040	10/1ख	0.162
115/1	0.012	10/772	0.080
116/1	0.012	10/4क	0.091
118	0.162	10/4ख	0.091
166/3	0.012		
	योग : <u>1.443</u>		
		योग :	<u>2.095</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है।—भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम सलैया तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2913-B-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्कें की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—उमरिया
 - (ख) तहसील—मनपुर
 - (ग) ग्राम—पड़वार, पटवारी हल्का क्र. 24, रा.नि.मं. चिल्हारी
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.095 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	अर्जित रक्का (हे. में)	अर्जित रक्का (हे. में)	
(1)	(2)	(1)	
2	3	3/1क	0.996
2/2	0.162	3/1ख	0.996
3	0.129	3/2	1.995
5/1	0.380	3/3क	0.355
5/2	0.160	3/3ख	0.934
		3/3ग	0.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है।—भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम पटवार तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2913-C-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्कें की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
- (ख) तहसील—मनपुर
- (ग) ग्राम—महरोई, पटवारी हल्का क्र. 26, रा.नि.मं. चिल्हारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—19.736 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	अर्जित रक्का (हे. में)	अर्जित रक्का (हे. में)	
(1)	(2)	(1)	
2	3	3/1क	0.996
2/2	0.162	3/1ख	0.996
3	0.129	3/2	1.995
5/1	0.380	3/3क	0.355
5/2	0.160	3/3ख	0.934
		3/3ग	0.468

(1)	(2)	(1)	(2)
3/3घ	0.468	63/3 ख	0.024
3/4 क 1	0.837	63/4	0.052
3/4 क 2	0.551	63/5	0.052
3/4 क 3	0.551	63/6 क	0.026
3/4 ख	0.177	63/6 ख	0.026
3/4 ग	0.105	63/7	0.052
3/5 क	0.365	64/1क 1	0.275
3/5 ख	0.340	64/1 क 2	0.275
3/5 ग	0.362	64/1 ख	0.709
3/5 घ	0.366	64/2	0.202
3/6 क	0.276	64/3 क	0.275
3/6 ख	0.389	64/3 ख	0.275
3/6 ग	0.390	65/1 क	0.017
3/6 घ	0.390	65/1 ख	0.018
3/7	1.489	65/2	0.033
5/1 क	0.087	65/3	0.033
5/1 ख	0.087	65/4	0.033
5/2	0.174	65/5/1	0.016
5/3 क	0.089	65/5/2	0.017
5/3 ख	0.085	65/6	0.033
5/4 क	0.087	66/1ख 1	0.100
5/4 ख	0.087	66/1 ख 2 क	0.050
5/5/1	0.089	66/1 ख 2 ख	0.050
5/5/2	0.089	66/1 ख 3 क	0.050
5/6	0.174	66/1 ख 3 क	0.050
7/2/ख/ 1	0.011	66/1 ख 4	0.100
7/2/ख/ 2	0.012	66/1 ख 5	0.100
8/1	0.684	66/1 ख 6 क	0.050
8/2	0.684	66/1 ख 6 ख	0.050
9/1	0.150	66/1 ख 7	0.100
9/2	0.255	योग :	<u>19.736</u>
10/1	0.106		
10/2 क	0.070		
10/2 ख	0.035		
10/3 क	0.091		
10/3 ख	0.092		
10/4	0.108		
10/5	0.108		
10/6 क	0.053		
10/6 ख	0.054		
10/7	0.108		
63/1	0.052		
63/2	0.048		
63/3 क	0.024		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—भद्रार्ववर्तन योजना ग्राम महरोई तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2913-D-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)
अनुसूची	15/4	0.202
(1) भूमि का वर्णन—	15/5	0.663
(क) जिला—उमरिया	16/1क	0.180
(ख) तहसील—मानपुर	16/1ख	0.184
(ग) ग्राम—बेल्टी, पटवारी हल्का क्र. 25, रा.नि.मं. चिल्हारी	16/2	0.184
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.501 हेक्टेयर.	16/3	0.184
खसरा नंबर	18/1	0.039
अर्जित रकबा (हे. में)	18/2	0.032
(1)	19	0.097
(2)	20	0.041
2/1क	21/1	0.120
2/1ख	21/2	0.161
2/1ख 2	25/1	0.041
2/1ग	25/2	0.041
2/1घ 1	25/3	0.041
2/1 घ 2	25/4	0.041
2/1 घ 3	26/3	0.041
2/2 ख	27	0.320
3/1	28/1क/क1	0.020
4/1	28/1क/क2	0.020
4/2	28/1क 2	0.020
4/3	28/1क 3	0.020
4/4	28/1ख	0.073
5/1/ख	28/2	0.146
5/2/क/1	30/2	0.200
5/2/क/2	35/1 क	0.405
5/2/ख/1	35/1 ख	0.101
5/2/ख/2	35/2 क	0.101
7/1क	36/2	0.081
7/2	37/ 1 क	0.028
8	37/1 ख	0.028
9/1क	37/1 ग	0.028
9/1ख	37/2	0.020
9/2	37/3	0.081
11/1	37/4 क	0.020
11/2	37/4 ख	0.020
11/3क	37/4 ग	0.020
11/3ख	38	0.238
11/3ग	39/2	0.016
12	39/3	0.012
13/2	44/1	0.405
	0.142	

(1)	(2)	(1)	(2)
44/2	0.121	244/3	0.162
45/1	0.101	244/4	0.162
47/1	0.262	246	0.178
47/2	0.101	245/1	0.332
47/3	0.050	245/2	0.242
49	0.040	251	0.214
51	0.243	30	0.092
52/1 ग	0.081	31/2	0.300
52/2	0.161		
44/1223/1	0.162		
44/1223/2	0.304		
192/1	0.093	योग :	<u>27.501</u>
192/2	0.166		
192/3	0.154		
192/4	0.089		
192/5	0.101		
193	0.210		
195/1 क 1	0.202		
195/1 क 2	0.202		
195/1 ख 2	0.607		
195/1 ग 1	0.202		
195/1 ग 3	0.202		
196/1	0.663		
196/2	0.784		
201/1	0.243		
201/2	0.486		
201/3	0.506		
202	0.539		
203/1	0.294		
203/2	0.405		
225/1	0.672		
225/2	0.227		
226	0.547		
230	0.089		
232/1	0.801		
232/2	0.304		
232/3	0.401		
233/1	0.607		
233/2	0.405		
236/1	0.081		
236/2	0.040		
236/3	0.040		
237	0.566		
244/1	0.162		
244/2	0.162		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम बेल्डी तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2913-E-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रक्के की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—मानपुर

(ग) ग्राम—कुड़ी, पटवारी हल्का क्र. 33, सलैया, रा.नि.मं.	(1)	(2)	
चिल्हारी.	160/4 क	0.194	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.207 हेक्टेयर.	160/4 ख	0.195	
खसरा नंबर	अर्जित रकमा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
119/1 ख	0.202	161/2 क	0.061
119/2 ख	0.001	161/2 ख	0.060
119/2 ग	0.008	162/1 क	0.019
119/3	0.405	162/1 ख	0.019
119/4	0.101	162/1 ग	0.019
119/5	0.122	162/2 ख	0.067
120	1.011	163/2 क	0.003
123	0.310	163/2 ख	0.002
125/2	0.010	164/1	0.036
126	0.202	165	0.150
156/1	0.012	166/1 क 1	0.039
156/2	0.004	166/1 क 2	0.038
155/1	0.081	166/1 क 2	0.038
155/2 क	0.004	166/2 क	0.024
155/2 ख	0.004	166/2 ख	0.025
157	0.112	177	0.693
158/1	0.008	178/1 क	0.010
158/2 क	0.004	178/1 ख	0.005
158/2 ख	0.004	178/1 ग	0.005
158/4 क	0.004	178/1 घ	0.081
158/4 ख	0.004	179/1 क	0.474
158/5 क	0.009	179/1 ख	0.347
158/5 ख	0.003	179/2 क	0.165
160/1	0.486	179/2 ख	0.411
160/2 क	0.263	179/2 ग	0.411
160/2 ख	0.263	181	0.280
160/3	0.125	184	0.200
		185	0.180

(1)	(2)	(1)	(2)
186	0.080	222/2	0.020
187	0.072	226/1	0.008
188	0.141	226/2	0.008
189/1	0.033	227	0.040
189/2	0.033	229	0.036
190/1	0.024	231/1	0.025
190/2	0.017	231/2	0.020
191/1	0.428	391/1	0.141
191/2	0.428	391/2 क	0.020
191/421/1	0.049	391/2 ख	0.119
191/421/2	0.328	392/1	0.024
191/422	0.201	392/2	0.029
193/424/1	0.008	393/1	0.101
193/424/2	0.008	393/2	0.200
194/1	0.100	394/2 ढ	0.037
194/2	0.100	394/3	0.223
195/1	0.029	402	1.360
195/2	0.056	403/2	0.015
196/1	0.559	415	0.660
196/2	0.963	योग :	<u>15.207</u>
197/1	0.090		
197/2	0.081		
198	0.085	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम कुड़ी तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि।	
199/1	0.024		
199/2	0.008		
201/1	0.010	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।	
201/2	0.020		
221/1	0.012		
221/2	0.012		
222/1	0.020	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	